क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ साहित्य

संरक्षण एवं मार्ग–निर्देशन

श्री मनोज कुमार सिंह
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री अनुज कुमार झा
आई.ए.एस.
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सम्पादक

श्रीमती प्रवीणा चौधरी
संयुक्त निदेशक, प्रिट,
उत्तर प्रदेश।

संकलन एवं प्रस्तुतिकरण

श्री मनीष कुमार मिश्र, फैकल्टी, प्रिट

मनोज कुमार सिंह,
आई.ए.एस.,
अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

संदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती व महत्वपूर्ण इकाई है। क्षेत्र पंचायत को सुदृढ़ बनाने हेतु क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण कर उनका क्षमता संवर्द्धन अत्यन्त आवश्यक है जिससे जानकारी प्राप्त कर वे जागरूक बने व क्षेत्र पंचायत के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण से उनकी कार्यकुशलता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी एवं वे अपने दायित्वों का निर्वहन और बेहतर तरीके से करने में सक्षम होगें जिससे क्षेत्र पंचायतें और सशक्त होगी। हर्ष का विषय है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संदर्भ साहित्य पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रशिक्षण संदर्भ साहित्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु अत्यन्त उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगी।

(मनोज कुमार सिंह)

पंचायती राज

अनुज कुमार झा,
आई.ए.एस.,
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संदेश

विकेन्द्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियो की विकास को गति प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के चहुँमुखी विकास में अपना सार्थक योगदान सुनिश्चित करें परन्तु यह तभी सम्भव है जब उनको क्षेत्र पंचायत संबंधी नियामक व्यवस्थाओं, विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं अपने दायित्वों से संबंधित अन्य विषयों की पूर्ण जानकारी हो। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु प्रशिक्षण संदर्भ साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है कि जिससे उनकी जानकारी एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

मुझे आशा है यह प्रशिक्षण संदर्भ साहित्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों हेतु अत्यन्त ही सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

(अनुज कुमार झा)

पृष्ठभूमि :—

दिनांक 24 अप्रैल, 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ जो कि पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना हुई। क्षेत्र पंचायत को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने व मजबूत संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नियामक व्यवस्थाओं का वृहद् प्राविधान किया गया है।

क्षेत्र पंचायतों को निम्नांकित कार्य हस्तान्तरित किये गये है :—

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन।
2. विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय का संचालन।
3. बीज केन्द्र का संचालन।
4. क्षेत्र पंचायत स्तर से चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन।
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खण्ड पर स्थित विपणन गोदामों का पूर्ण पर्यवेक्षण, एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्यो का क्रियान्वयन एवं समन्वयन।

क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों में निधि की कमी होने अथवा उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विकास कार्यों को कराकर ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की दशा में गुणात्मक परिवर्तन ला सकती है एवं ऐसा करना क्षेत्र पंचायत का कार्य एवं दायित्व है। ग्राम पंचायतें जितनी अधिक विकसित और समृद्ध होगी क्षेत्र पंचायत भी उतनी ही सशक्त होगी।

क्षेत्र पंचायतें अपने क्षेत्र में समावेशी एवं सहभागिता पूर्ण नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित आर्थिक एवं सामजिक विकास की गतिविधियों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। क्षेत्र पंचायतों द्वारा विकास हेतु उपलब्ध निधियों के अतिरिक्त स्वयं की आय के स्रोत भी सृजित करने होगें, जिससे क्षेत्र पंचायतें आत्मनिर्भर बिजनेस मॉडल विकसित करके स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ—साथ स्वयं की आय में वृद्धि कर सकती है। क्षेत्र पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में करारोपण के माध्यम से भी स्वयं की आय में वृद्धि कर सकती है।

क्षेत्र पंचायतें केन्द्र अथवा राज्य सरकार की प्रचलित कल्याणकारी अथवा लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ पात्र एवं वंचित वर्ग तक पहुंचाने में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। क्षेत्र पंचायतें अपने नियामक कार्यों के साथ—साथ बेहतर विकास कार्यों को करते हुए एक रोल मॉडल के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर सकती हैं, जिससे क्षेत्र पंचायत का गौरव बढ़ेगा एवं पुरस्कार से प्राप्त धनराशि से अन्य विकास कार्यों को भी सुनिश्चित किया जाना संभव हो सकेगा।

विषय–सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	क्षेत्र पंचायत का गठन एवं क्षेत्र पंचायत की समितियाँ	1
2	क्षेत्र पंचायत विकास योजना (B.P.D.P)	8
3	15वां केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग	19
4	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)	25
5	स्वयं की आय स्रोत (O.S.R.) (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत)	35
6	क्षेत्र पंचायत में ई–गवर्नेंस की स्थापना	41
7	सतत् विकास लक्ष्य एवं उनका स्थानीयकरण (L.S.D.G.)	53
8	पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0	67
9	मातृभूमि योजना	70
10	पंचायत पुरस्कार	73

1
क्षेत्र पंचायत का गठन एवं क्षेत्र पंचायत की समितियाँ

1. क्षेत्र पंचायत क्या है? त्रिस्तरीय पंचायतीराज की मध्यस्तरीय व्यवस्था।

1.1 ग्राम क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन

राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रत्येक खण्ड का नाम उसके क्षेत्र की सीमाएं या उसके संघटक अंश का उल्लेख करते हुए प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र का खण्डों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकालकर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नए खण्ड (अथवा क्षेत्र पंचायत) बना सकती है।

1.2 क्षेत्र पंचायत का गठन एवं क्रियान्वयन। (धारा–5)

1. प्रत्येक खण्ड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खण्ड क्षेत्र के नाम पर होगा और जो उसके पश्चात् उपबन्धित प्रकार से गठित की जाएगी।
2. क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी।
3. क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, और जब तक, इस प्रकार सुनिश्चित न किया जाए, तब जक उसी स्थान पर होगा, जहाँ व उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व स्थित था।

1.3 क्षेत्र पंचायत की रचना। (धारा–6)

क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख, जो इसका पीठासीन अधिकारी होगा एवं इसमें निम्न लोग शामिल रहेंगे–

1. विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान।
2. क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्य (प्रति 2 हजार की आबादी पर)
3. लोक सभा के सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिसमें पूर्ण एवं आंशिक रूप से विकास खण्ड या क्षेत्र समाहित है।
4. राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद् के सदस्य जो खण्ड या क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में दर्ज है।

उपरोक्त खण्ड 1, 3, 4 में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमख के निर्वाचन और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामले को छोड़ कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने एवं उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

2. क्षेत्र पंचायत हेतु संवैधानिक प्राविधान।

2.1 क्षेत्र पंचायत प्रमुख के संबंध में विविध प्राविधान। (धारा–7)

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख चुना जाएगा। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद में रिक्ति के होते हुए भी प्रमुख के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा।

शपथ या प्रतिज्ञान :किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख प्रथम बार प्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण के पहले परगनाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। क्षेत्र पंचायत का सदस्य प्रथम बार सदस्य के रूप में अपना पद ग्रहण करने के पहले प्रमुख या उसकी अनुपस्थिति में खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष शपथ लेगा।

2.2 क्षेत्र पंचायत प्रमुख के कार्यदायित्व। (धारा–81)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–81 के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के कार्यदायित्वों का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार–

- क्षेत्र पंचायत तथा उसकी समितियां, जो तदर्थ नियुक्त की जाएं, की सभी बैठकों को बुलाएं और उनकी अध्यक्षता करें।
- क्षेत्र पंचायत की सभी बैठकों में कार्य सम्पादन को तदर्थ बनाए गए किसी विनिमय के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करें।
- क्षेत्र पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखें तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करें तथा उसमें किसी त्रुटि को क्षेत्र पंचायत की जानकारी में लायें।
- ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करे, जो इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि की अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा आवंटित किये जाएं।

क्षेत्र पंचायत की बैठकें एवं बैठकों की प्रक्रिया। (धारा–84 व 85)

क्षेत्र पंचायत की बैठकें उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–84 के अन्तर्गत निम्न प्रकार आयोजित की जाती हैः–

- संगठन के पश्चात् बैठक एक माह के अन्दर होना आवश्यक है।
- हर 2 महीने में क्षेत्र पंचायत की कम से कम 1 बैठक जरूर होगी।
- क्षेत्र पंचायत की बैठक को बुलाने का अधिकार प्रमुख को है।
- यदि क्षेत्र पंचायत के 1/5 सदस्य लिखित रुप से माँग करें (सीधे हाथ से दिया गया हो या प्राप्ति पर सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिया गया हो) तो आवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्रमुख क्षेत्र पंचायत की बैठक जरूर बुलाएगा।
- कोई बैठक आगे की तिथि के लिए स्थगित की जा सकती है और इस प्रकार स्थगित बैठक आगे भी स्थगित की जा सकती है।
- प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर, जिसकी सूचना सम्यक् रुप से दी जा चुकी हो, हागी।

बैठकों का दिनांक, समय और स्थानः

- क्षेत्र पंचायत की बैठक धारा 84 क अनुसार बुलाई जा सकती है।
- प्रत्येक बैठक की सूचना, दिनांक, समय एवं स्थान सहित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर, बैठक की दिनांक से कम से कम 10 दिन पूर्व भेजी जाएगी या भिजवाई जाएगी।
- आपातकालीन बैठक के लिए 10 दिन पूर्व सूचना आवश्यक नहीं है, अर्थात अल्पकालीन सूचना के आधार पर भी बैठक बुलाई जा सकती है।
- अगर किसी बैठक में अगली बैठक का दिनांक निश्चित कर दिया जाए, तो इसकी सूचना बैठक में उपस्थित सदस्यों को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु परिवर्तन होने पर सूचना अवश्य दी जाएगी।
- कोई भी बैठक एक से अधिक दिन तक हो सकती है।

गणपूर्ति/कोरमः

- बैठक में गणपूर्ति के लिए एक तिहाई सदस्यों की संख्या अनिवार्य होगी, परन्तु विशेष संकल्प को पारित करने हेतु आधे सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि कोई बैठक गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित कर दी जाए, तो स्थगति बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक का अध्यक्षः

- बैठक में प्रमुख अनुपस्थित होने पर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से एक को चुन लेंगे।

क्षेत्र पंचायत की समितियाँ (धारा 88 एवं 89)

88 89

ग्राम पंचायतों की समितियों के समान ही क्षेत्र पंचायतों में भी निम्न छः समितियों का प्राविधान किया गया है–

1. नियोजन एवं विकास समिति
2. शिक्षा समिति
3. निर्माण कार्य समिति
4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
5. प्रशासनिक समिति
6. जल प्रबन्धन समिति

समिति का नाम	समिति का कार्य	समिति का गठन
नियोजन एवं विकास समिति	1. क्षेत्र पंचायत की विकास योजना तैयार करना। 2. विकास खण्ड स्तर पर कृषि, पशु पालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन।	1. प्रमुख – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा। 3. विशेष आमंत्री
शिक्षा समिति	विकास खण्ड स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य।	1. प्रमुख – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा। 3. विशेष आमंत्री
प्रशासनिक समिति	1. विकास खण्ड स्तर पर कर्मियों सम्बन्धी समस्त विषय। 2. विकास खण्ड स्तर पर राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य।	1. प्रमुख – सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति ,महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा। 3. विशेष आमंत्री
निर्माण कार्य समिति	1. सभी निर्माण कार्य कराना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	1. क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा। 3. विशेष आमंत्री
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	1. विकास खण्ड स्तर पर चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य। 2. समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन। 3. अनु0 जाति, अनु0 जनजाति तथा पिछडे वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण।	1 क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2 छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा। 3 विशेष आमंत्री
जल प्रबन्धन समिति	1. राजकीय नलकूपों का संचालन। 2. पेयजल सम्बन्धी कार्य।	1. क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. छः अन्य सदस्य अनु0जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य होगा।

क्षेत्र पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल। (धारा–8)

1. प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, यदि इस अधिनियम के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।
2. किसी क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा।

2.1 कुछ मामलों में अस्थाई व्यवस्था। (धारा–9 क)

जब प्रमुख अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक प्रमुख अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर ले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विवेकानुसार व्यवस्था कर सकता है।

2.2 आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति। (धारा–12)

यदि किसी प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान, मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाए, तो उस स्थान की पूर्ति उसके रिक्त होने की दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी। यहां यह प्रतिबन्ध भी रहेगा कि यदि पद रिक्ति होने की दिनांक, क्षेत्र पंचायत के शेष कार्यकाल 6 मास से कम हो, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी।

2.3 सदस्यता या अनर्हता के संबंध में विवाद। (धारा–14)

1. यदि यह विवाद उठे कि कोई ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत का सदस्य है कि नहीं तो यह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से भेजा जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
2. यदि इस विषय पर विवाद है कि कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का सदस्य विधितः चुना गया अथवा नहीं या वह सदस्य होने के लिए पात्र है कि नही तो यह प्रश्न न्यायाधीश को नियत रीति से भेजा जाएगा एवं उस पर न्यायाधीश का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
3. यदि न्यायाधीश यह निर्णय करे कि सदस्य विधितः नहीं चुना गया था या वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहने का पात्र नहीं रह गया है तो वह सदस्य उस निर्णय की दिनांक से क्षेत्र पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा।

2.4 प्रमुख या सदस्य का त्याग–पत्र। (धारा–11)

ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा त्याग सकता है। ब्लॉक प्रमुख सम्बन्धि जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अन्य (सदस्य) क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को त्याग पत्र देगा। प्रमुख का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र की स्वीकृति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। सदस्य द्वारा दिया गया त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में उसकी नोटिस प्राप्त हो जाए। इस प्रकार यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रमुख या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।

2.5 प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव/हटाया जाना। (धारा–15, 16)

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–15(1) में यह कहा गया है कि प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव धारा 15 (2) और 15 (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

1. धारा 15 (2) के तहत प्रस्ताव करने के अभिप्राय का निर्धारित प्रारूप पर लिखित नोटिस क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

2. प्रस्तावक सदस्यों में से किसी एक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अविश्वास प्रस्ताव की प्रति कलेक्टर को दी जाएगी।
3. उसके बाद कलेक्टर क्षेत्र पंचायत की एक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय में अपने द्वारा निर्धारित तिथि पर बुलाएंगें और यह तिथि उपधारा 15 (2) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने की दिनांक से तीस दिन के बाद की नहीं होगी।
4. कलेक्टर द्वारा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्धारित रीति से दिया जाएगा।
5. ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस परगने का परगनाधिकारी (एस.डी.एम.) करेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्र पंचायत एक से अधिक परगनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो अथवा परगनाधिकारी किसी कारणवश अध्यक्षता न कर सकें, तो कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर उक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगें।
6. इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी क्षेत्र पंचायत को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगे, जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई हो तथा वह यह घोषित करेंगे कि उस पर वाद–विवाद किया जा सकता है।
7. इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर वाद–विवाद स्थगित न होगा।
8. यदि ऐसा वाद–विवाद बैठक प्रारम्भ होने के लिए निश्चित समय से दो घण्टे बीतने के पहले ही समाप्त न हो जाए, तो वह दो घण्टे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। वाद–विवाद की समाप्ति पर अथवा दो घण्टे की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव गुप्त मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
9. पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेंगे और न वह उस पर मत देने के अधिकारी होंगे।
10. पीठासीन अधिकारी बैठक के तुरन्त बाद कार्यवाही की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा क्षेत्राधिकार युक्त जिला पंचायत को देंगे।
11. यदि प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे से अधिक समर्थन से पारित हो, तोः
    (क) पीठासीन अधिकारी उक्त राय का प्रकाशन क्षेत्र पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकवाकर करेंगे तथा गजट में उसे विज्ञापित भी कराएंगे।
    (ख) नोटिस बोर्ड पर बैठक के निर्णय को चस्पा करने के अगले दिन ही प्रमुख अपना पद छोड़ देगा।
12. यदि प्रस्ताव पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक की दिनांक से एक वर्ष व्यतीत न हो जाए, तब तक उसी प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जाएगा।
13. इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस प्रमुख के पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्रमुख का हटाया जाना (धारा–16):

1. इन्हें निम्न आधारों पर अधिनियम की धारा–16 के अन्तर्गत अपने पद से हटाया भी जा सकता है।
2. यदि राज्य सरकार की राय में प्रमुख अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन जान–बूझ कर नहीं करते या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में उन्हें अनाचार का दोषी पाया जाता है या मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गए हैं, तो राज्य सरकार, यथास्थिति उन्हें स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देगी। इस मामले में अध्यक्ष का परामर्श मांगने और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने की दिनांक से 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए, तो इस राय पर विचारोपरान्त, ऐसे प्रमुख को

आदेश द्वारा राज्य सरकार पद से हटा सकती है—ऐसा आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी। इस प्रक्रिया में प्रतिबन्ध यह रखा गया है कि यदि नियत प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया यह पाया जाए कि किसी प्रमुख ने वित्तीय और अन्य अनियमितताएं की हैं, तो ऐसा प्रमुख, अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में इस निमित्त क्षेत्र पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की समिति उक्त कार्य करेगी।

3. इस धारा के अधीन उपने पद से हटाया गया प्रमुख अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र न होगा।

शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा सदस्य, जिला पंचायत को बैठक भत्ता रू0 1500/– प्रति बैठक (वर्ष में 06 बैठक) अनुमन्य है।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका

- क्षेत्र पंचायत की बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना।
- क्षेत्र पंचायत की समितियों को सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करना।

2

क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.)

क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.)

क्षेत्र पंचायत स्तर पर अवस्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक विषयों से सम्बन्धित गतिविधियों का उपलब्ध संसाधनों का अभिसरण करते हुए नियोजन करना क्षेत्र पंचायत विकास योजना है। अपने आदर्श रूप में क्षेत्र पंचायत विकास योजना को स्थानीय जनमानस की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी सेवाओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। इसे सहभागितापूर्ण, समावेशी एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत विकास योजना निर्माण की आवश्यकता

- आर्थिक विकास और आय वृद्धि, कृषि, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पशुपालन, कौशल इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों पर व्यय नहीं।
- 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से केवल कुछ विषयों पर ध्यान दिया जाना।
- पंचायत के तीनों स्तरों द्वारा अलग–अलग काम किया जाना तथा क्षेत्र पंचायत विकास योजना निर्माण में जीपीडीपी से छूटे हुए विषयों को कार्ययोजना में लिया जाना।
- कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया जाना।
- सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना प्राथमिकता न होना।
- ई–ग्राम स्वराज पर कार्य किये जाने हेतु।

बी.पी.डी.पी. का महत्व

- ग्राम पंचायतें मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा सुविधा और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से छोटी गतिविधियों की ही योजना बना सकती है।
- क्षेत्र पंचायत मानव शक्ति और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से मध्यम से बड़ी गतिविधियों को लागू कर सकती है।
- विकास खण्ड की उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकती है जिनका समाधान ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की योजना में नहीं किया जा सकता है।

(स्रोत : **मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से शासनादेश–04/33–3–2021–4/2021 तथा गाइडलाइन दिनांक 15 जनवरी, 2021**)

बी.पी.डी.पी. निर्माण की प्रक्रिया

- क्षेत्र पंचायतों द्वारा फेसिलिटेटर एवं फ्रंटलाइन वर्कर नियुक्त करना तथा समिति बैठक का विवरण भारत सरकार के **gpdp.nic.in** पोर्टल पर अपलोड किया जाना।

- क्षेत्र पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों/प्रमुखों, ग्राम प्रधानों एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की बैठक क्षेत्र पंचायत योजना में शामिल प्रस्तावों पर विचार–विमर्श हेतु बुलाया जाना।
- योजना को निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना।
- योजना पर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना के आधार पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया जाना।
- वार्षिक कार्ययोजना **e-GramSwaraj** पर समय से अपलोड किया जाना।
- निर्धारित समयावधि में कार्ययोजना अपलोड न करने की दशा में अगले वित्तीय वर्ष में कार्यों के सापेक्ष धनराशि व्यय किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

बी.पी.डी.पी. निर्माण की प्राथमिकतायें

- यथा सम्भव दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभ पहुँचाने वाले कार्य। आवश्यकतानुसार किसी राजस्व गाँव या उसके मजरे में जहाँ किसी कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि का अभाव हो, उक्त ग्राम पंचायत का चयन किया जाए।
- सामाजिक मुद्दों/कार्यो को परियोजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना।
- स्त्री–पुरूष समानता के प्रति जिम्मेदार योजना।
- सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal-SDG) का स्थानीयकरण।
- स्वच्छता, जल आपूर्ति, खेल के मैदान, पार्क आदि जैसी बुनियादी सेवाओं पर ज़ोर देना।
- आर्थिक विकास, आय में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन।
- नवीकरणीय ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मिलित करने की समुचित प्राथमिकता।

क्रियान्वयन एवं समन्वयन हेतु समितियाँ

1. राज्य स्तर पर गठित अधिकारिता समिति **"हाई पावर कमेटी" कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।**
2. विकास खण्ड स्तर पर गठित **"क्षेत्र पंचायत योजना समिति" ब्लाक प्रमुख अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिसकी संरचना निम्नवत् है–**

क्र0सं0	समिति के सदस्य	पदनाम
1	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप क्षेत्र पंचायत प्रमुख	उपाध्यक्ष
3	विकास खण्ड की पॉच ग्राम पंचायतों के पॉच प्रधान	सदस्य
4	विकास खण्ड स्तर पर जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि	सदस्य
5	क्षेत्र पंचायत के स्थायी समिति के अध्यक्ष	सदस्य
6	फारेस्ट रेन्ज आफिसर	सदस्य
7	एन0आर0एल0एम0 के प्रतिनिधि	सदस्य
8	कृषि प्रसार अधिकारी	सदस्य

क्र0सं0	समिति के सदस्य	पदनाम
9	कृषि उपज विपणन समिति अध्यक्ष	आमंत्रित सदस्य
10	विकास खण्ड के लीड बैंक प्रबन्धक	आमंत्रित सदस्य
11	एक स्वच्छता विशेषज्ञ	आमंत्रित सदस्य
12	अर्थशास्त्र का एक प्रोफेसर	आमंत्रित सदस्य
13	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

क्षेत्र पंचायत योजना समिति के उत्तरदायित्व

- विकास खण्ड स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विकास खण्ड स्तर के कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास योजना के लिये बुलाई गयी विभिन्न बैठकों में उपस्थित रहें और वर्तमान तथा अगले वर्ष की विकास की गतिविधियों की जानकारी दें।
- विकास खण्ड स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिये प्रयासों को बजबूत करना।
- विभिन्न केन्द्र तथा राज्य प्रायोजित और प्रमुख कार्यक्रमों के लिए संसाधनों और योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करना।
- क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक प्रबंध करना।
- कार्य योजना क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर निर्णय लेना तथा समस्या का समाधान करना।
- योजना निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- परियोजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन के बीच समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करना।
- विकास खण्ड स्तर पर योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन की निगरानी।
- क्षेत्र पंचायत योजना की स्थिति, संबंधित मुद्दों और प्रयासों के बारे में जिला समन्वय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा फीडबैक देना।

क्षेत्र पंचायत विकास योजना के लिए संसाधन

सामाजिक संसाधन	स्वयं सेवी संस्थायें, समुदाय आधारित संगठन आदि।
मानव संसाधन	आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन, एस.एच.जी. समूह आदि।
प्राकृतिक संसाधन	भूमि, वन, जल, वायु एवं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी संसाधन।
वित्तीय संसाधन	केन्द्र एवं राज्य सरकार, ओ.एस.आर. आदि से उपलब्ध धन के साथ–साथ अन्य विभागों के वित्तीय संसाधन, जिला पंचायत सी. एस.आर. फण्ड, बैंक व अन्य स्रोतों से उपलब्ध संसाधन।

कार्यक्रमों व योजनाओं का सामाजिक ऑडिट

- प्रत्येक छः माह में सामाजिक ऑडिट।
- विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय रिकार्ड व अन्य अभिलेख, कार्य स्थलों व सेवाओं का मूल्यांकन।

- मूल्यांकन प्रक्रिया के निष्कर्षों पर चर्चा एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही, संबंधित शिकायतों की समीक्षा हेतु क्षेत्र पंचायत की बैठक।
- सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट का क्षेत्र पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन।
- विकास खण्ड सभाओं के प्रारम्भ में ऑडिट रिपोर्ट पढ़ कर सुनाना।

विकास योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर वर्षिक कार्ययोजना भारत सरकार द्वारा विकसित एकीकृत एप्लीकेशन ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करेंगी।
- आंकलन व तकनीकी स्वाकृति हेतु प्रचलित शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार। तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम. एस. इन्टीग्रेटेड सिस्टम से वर्क आई–डी के आधार पर भुगतान करेंगी।

(गत् वर्ष 2020–21 में 821 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष 744 क्षेत्र पंचायतों द्वारा ही वर्ष 2021–22 की कार्ययोजना को ई–ग्राम स्वराज पर अपलोड किया गया है। वर्तमान में एक भी क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु कार्ययोजना अपलोड नहीं की गयी है।)

वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों को जल एवं स्वच्छता में अनुदान का आवंटन

वर्ष	टाइड ग्राण्ट (धनराशि करोड़ में)	टाइड ग्राण्ट (धनराशि करोड़ में)	टाइड ग्राण्ट (धनराशि करोड़ में)
	जल	**स्वच्छता**	**योग**
2021–22	13470	13470	26940
2022–23	13954	13954	27908
2023–24	14106	14106	28212
2024–25	14940	14940	29880
2025–26	14572	14572	29144
योग	**71042**	**71042**	**142084**

त्रिस्तरीय पंचायतों को धनराशि वितरण की सीमा

स्थानीय निकाय	वितरण की सीमा	
	न्यूनतम	**अधिकतम**
ग्राम पंचायत	70 प्रतिशत	85 प्रतिशत
क्षेत्र पंचायत	10 प्रतिशत	25 प्रतिशत
जिला पंचायत	05 प्रतिशत	15 प्रतिशत

प्रस्तावित की जाने वाली संभावित गतिविधियाँ (टाइड ग्रान्ट)

क्रं. सं.	गतिविधि (टाइड ग्रान्ट)	सेक्टर
1	समुदाय के लिए पुलिया/आर–पार निकासी अवसंरचनाओं का निर्माण।	Sanitation
2	समुदाय के लिए पुलिया/आर–पार निकासी अवसंरचनाओं की मरम्मत/रख–रखाव	Sanitation
3	समुदाय के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण।	Sanitation
4	समुदाय के लिए आंगनबाडी बहु इकाई शौचालयों का निर्माण।	Sanitation
5	सीवर लाइन का निर्माण/ह्यूम पाइप	Sanitation
6	सार्वजनिक शौचालय का निर्माण।	Sanitation
7	नहाने का चबूतरा/स्थान का निर्माण।	Sanitation
8	रसोईघर तथा स्नानागार से बहने–वाले–अपशिष्ट जल प्रबंधन	Sanitation
9	सोख्ता गड्ढा तथा अपशिष्ट स्थायीकरण तालाब	Sanitation
10	कूड़ा गाड़ी का क्रय तथा किराये पर लिया जाना।	Sanitation
11	पीने के पानी के टैंकर का क्रय तथा किराये पर लिया जाना।	Drinking water
12	हैण्ड पम्पों का उच्चीकरण।	Drinking water
13	पेय जल की व्यवस्था, बडे आकार की योजनायें जिसे ग्राम पंचायतें नहीं कर सकती हैं।	Drinking water
14	हैण्ड पम्प के चारों ओर प्लेटफार्म निर्माण।	Drinking water
15	वर्षा जल संचयन एवं जल संभरण।	Drinking water
16	जानवरों के पानी पीने की चरही का निर्माण।	Water Conservation
17	तालाब निर्माण/मरम्मत	Water Conservation
18	अन्त्येष्टि स्थल/कब्रिस्तान मरम्मत/निर्माण	Maintenance of community system

ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्यों/गतिविधियों की सांकेतिक सूची (टाइड ग्रान्ट)

घटक	गतिविधियाँ
सामुदायिक स्वच्छता	स्वच्छता सुविधा की आवश्यकता वाले सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण– बसावट से दूर नहीं
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	गांवों के एक समूह के लिये ठोस अपशिष्ट शेड का निर्माण जहां गांवों के समूह से ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जा सकता है और संग्रहित किया जा सकता है।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (पीडब्लूएमयू)/सामग्री प्रबंधन वसूली सुविधा (एमआरएफ) की स्थापना एक समूह के लिए 2. बहु गाँव (एमवी) पीडब्लूएमयू/एमआरई का संचालन और रख–रखाव 3. गांव के एक समूह से एमवी–पीडब्लूएमयू/एमआरएफ तक प्लास्टिक कचरे के परिवहन के लिए सेवाओं को किराए पर लेना।
तरल अपशिष्ट प्रबंधन	1. गांवों के प्रबंधन समूह से अपशिष्ट जल के परिवहन के लिए तरल अपशिष्ट जल निकासी व्यवस्था एक सामान्य उपचार इकाई में जहां गांवों के बीच की बहुत दूरी है और सामान्य उपचार सुविधा ही एकमात्र व्यवहार्थ समाधान है। 2. एक समूह के लिए अपशिष्ट निपटान पॉण्ड का निर्माण उन गांवों की संख्या जहाँ गांवों के बीच की दूरी उपचार सुविधा ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है जहां कई गांवों का संचालन और रखरखाव किया जाता है। 3. संचालन व मरम्मत हेतु मल्टीविलेज वेस्ट वाटर प्रबन्धन।
गोबरधन	1. गोबरधन इकाइयों का कार्यान्वयन 2. गोबरधन इकाइयों का संचालन और रखरखाव 3. गांवों के एक समूह से गोबरधन इकाइयों तक मवेशियों और अन्य कचरे का परिवहन 4. गोबरधन इकाइयों का संचालन और रखरखाव।
फीकल स्लज प्रबन्धन	1. फीकल स्लज प्रबंधन संयंत्र की स्थापना। 2. गांवों के एक समूह से मल कीचड़ के संग्रह और गांवों के एक समूह हेतु एफएसएम संयंत्र के लिए परिवहन की सेवाएं। 3. मल कीचड़ संयंत्र का संचालन एवं रखरखाव। 4. सिंगल पिट शौचालयों को ट्विन पिट शौचालयों या सोख्ता गड्ढ़ों के साथ सेप्टिक टैंकों की रेट्रोफिटिंग।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी तकनीकी विकल्प (टाइड ग्रान्ट)

घटक	गतिविधियाँ
गीले ठोस अपशिष्ठ उपचार हेतु तकनीकी विकल्प	1. सरल कम्पोस्टिंग/पिट कम्पोस्टिंग तकनीक 2. बिन कम्पोस्टिंग तकनीक
	3. नाडेप कम्पोस्टिंग तकनीक 4. हीप कम्पोस्टिंग तकनीक 5. विंड्रो कम्पोस्टिंग तकनीक 6. वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक 7. बयोगैस तकनीक
शुष्क ठोस अपशिष्ट उपचार में तकनीकी विकल्प	1. प्लास्टिक अपशिष्ट रीसाइक्लिंग
निष्क्रिय (बेकार) अपशिष्ट निपटान हेतु तकनीकी विकल्प	सुरक्षित लैंडफिल 1. मिनी इनसिनरेटर्स 2. सुरक्षित लैंडफिलिंग
धूसर जल उपचार हेतु तकनीकी विकल्प	1. सोख्ता गड्ढ़ा तकनीक 2. लीच पिट तकनीक 3. किचन गार्डन तकनीक 4. तीन टेंक (डबल्यूएसपी) तकनीक 5. डकवीड तकनीक 6. अवायवीय फिल्टर तकनीक (अनेरोबिक फिल्टर) 7. करनाल तकनीक 8. हॉरिजॉन्टल फ्लो निर्मित वेट लैंड तकनीक (हॉरिजॉन्टल फ्लो सीडब्ल्यू)

सोख्ता गड्ढ़ा

लीच पिट

खाद गड्ढ़ा

बी.पी.डी.पी. में प्रस्तावित की जाने वाली संभावित गतिविधियाँ

क्र.सं.	गतिविधियाँ (अनटाइड ग्रान्ट)	सेक्टर
1	व्यक्तियों के लिए कम्पोस्ट पिट/वर्मी कंपोस्ट संरचना/नाडेप कंपोस्ट संरचना/बरकेले कंपोस्ट पिट/कंपोस्ट पिट संरचना का निर्माण।	Agriculture
2	समुदाय के लिए वर्मी कंपोस्ट संरचना/नाडेप कंपोस्ट संरचना/बरकेले कंपोस्ट पिट/कंपोस्ट पिट संरचना की मरम्मत और रख–रखाव।	Agriculture
3	समुदाय के लिए खेल मैदान का निर्माण।	Social Welfare
4	समुदाय के लिए खेल मैदान की मरम्मत और रख–रखाव।	Social Welfare
5	समुदाय के लिए ग्राम पंचायत/पंचायत भवन का निर्माण।	Social welfare
6	समुदाय के लिए किचन शेड का निर्माण।	Social welfare
7	समुदाय के लिए शमशान घाट का निर्माण।	Social welfare
8	प्रतीक्षालय (बस स्टॉप) का निर्माण।	Social welfare
9	समुदाय के लिए सरकारी विद्यालयों के चारदीवारी का निर्माण।	Education
10	आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण।	health
11	गौवंश हेतु शैड	Animal husbandry
12	पशु उपकेन्द्र का निर्माण/मरम्मत।	Animal husbandry
13	सोलर लाइट की व्यवस्था। (विद्युत उत्पादन एवं वितरण के रूप में।)	Rural electrification
14	स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। (विद्युत विभाग की अनुमति से।)	Rural electrification
15	पंचायत भवन का मरम्मत और रख–रखाव।	Maintenance of community system
16	शमशान घाट की मरम्मत और रख–रखाव।	Maintenance of community system
17	बिल्डिंग/चौपाल की मरम्मत/रख–रखाव।	Maintenance of community system
18	बाड़ लगाना।	Maintenance of community system
19	समुदाय के लिए गॉव/ग्रामीण हाट का निर्माण/मरम्मत और रख–रखाव।	Markets and fairs
20	समुदाय के लिए ब्रशबुड चेक डेम का निर्माण।	Minor irrigation
21	समुदाय के लिए स्टोन बोल्डर गुली प्लग का निर्माण, मरम्मत और रख–रखाव	Minor irrigation
22	समुदाय के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड की मरम्मत और रख–रखाव। (ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	Road
23	समुदाय के लिए पत्थर के छोटे रास्ते का निर्माण। (ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	Road
24	समुदाय के लिए बिटुमिन टॉप रोड का निर्माण/मरम्मत और रख–रखाव (ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	Road
25	समुदाय के लिए बजरी रोड का निर्माण/मरम्मत और	Road

क्र.सं.	गतिविधियाँ (अनटाइड ग्रान्ट)	सेक्टर
	रख–रखाव (ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	
26	समुदाय के लिए इंटर–लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक/टाईल्स रोड का निर्माण (ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोडने के लिये)	Road
27	समुदाय के लिए डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण (ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोडने के लिये)	Road
28	समुदाय के लिए खण्ड़जा (ईंट/पत्थर) रोडों का निर्माण (ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	Road
29	समुदाय के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण(ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	Road
30	इण्टर लॉकिंग रोड का निर्माण।(ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	Road
31	समुदाय के लिए इंटर–लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक/टाइल्स रोड की मरम्मत और रख–रखाव।(ग्रामीण आबादी के बाहर, दो ग्रामों को जोड़ने के लिये)	Road

कम लागत एवं बिना लागत तथा स्वयं की आय बढ़ाने संबंधी गतिविधियॉ

क्र.सं.	गतिविधियाँ	सेक्टर	एस.डी.जी.
1	क्षेत्र पंचायत की बैठकों में महिलाओं एवं लड़कियों के मुद्दे पर विशेष चर्चा करना अथवा विशेष सभा का आयोजन करना।	Education	SDG-4
2	स्वयं के आय के स्रोत से निर्धन परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना।	Education	SDG-4
3	ग्राम पंचायत स्तर पर महिला ग्राम प्रधानों एवं समितियों की महिला सदस्यों की बैठकों एवं निर्णयों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण/क्षमता संवर्धन।	WCD	SDG-3, 5, 10
4	बाल विवाह के प्रति समुदाय को जागरूक करना और रोकना और यौन–चयनित गर्भपातों के विरूद्ध अभियान चलाना।	WCD	SDG-3, 5, 10
5	क्षेत्र पंचायत कार्यालय में सौर ऊर्जा सयंत्र की स्थापना के माध्यम से ऊर्जा के अक्षय स्त्रोत पर उपयोग को बढ़ावा देना।	Energy	SDG-7
6	कम वित्तीय संसाधनों वाली ग्राम पंचायत के लिए आय सृजन की गतिविधियों को चिन्हित कर छोटे–छोटे प्रोजेक्ट को सहायता देना।	OSR	SDG-1, 2, 8
7	स्वयं सहायता समूह, किसानों एवं लघु उद्यमियों हेतु खाद्य प्रसंस्करण, विपणन केन्द्र एवं विनियमन इकाईयों का संचालन कर उनको बाज़ार से जोड़ना।	Economic Development	SDG-1, 2, 8

(सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDG) का स्थानीयकरण की 09 थीमों पर आधारित गतिविधियों को अनिवार्य रूप से कार्ययोजना में प्राथमिकता दी जानी है।)

नोट– इससे अतिरिक्त सूचना के लिए शासनादेश संख्या–04/33–3–2021–4/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं BPDP से संबंधित गाइडलाइन का संदर्भ लें।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका

- क्षेत्र पंचायत सदस्य को अपने क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायतों में जी0पी0डी0पी0 की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिये जिससे ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यो की उन्हें जानकारी हो सके।
- ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा अपनी कार्य योजना में एक ही कार्य की पुनरावृत्ति को रोकना।
- ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ किसी विकास कार्य को कराने हेतु धनाभाव है, उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत विकास योजना में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना।
- क्षेत्र पंचायत विकास योजना में अवस्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित विषयों को बी0पी0डी0पी0 से सम्मिलित करना।

3

15वां केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग

केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की शुद्ध आय का कुछ प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में हस्तान्तरित (डेवेल्यूशन) किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसके क्रम में केन्द्रीय वित्त आयोग (पूर्व से गठित) तथा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए हर पांच वर्ष पर आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों अनुसार पंचायतों को अनुदान धनराशि (ग्रान्ट) हस्तान्तरित की जाती है। वर्तमान में 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश में पंचम राज्य वित्त आयोग प्रचलित है।

केन्द्रीय वित्त आयोग:

15वाँ वित्त आयोग:– 15वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के साथ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को भी धनराशि दिये जाने की व्यवस्था दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वें वित्त आयोग की अन्तरिम संस्तुति के आधार पर पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि हेतु 50 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट एवं 50 प्रतिशत अनटाइड ग्राण्ट के रुप में अवमुक्त एवं व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया था। 15वें वित्त आयोग की अन्तिम संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–2026 पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के गाइडलाइन दिनांक–14.07.2021 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1717/33–3–2021–33/2020, दिनांक–07.10.2021 के द्वारा धनराशि हस्तान्तरण व व्यय हेतु मार्ग–निर्देश जारी किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–26 हेतु निम्न प्राविधान किया गया है:–

- 15वें वित्त आयोग के संस्तुत रिपोर्ट में 40 प्रतिशत बेसिक (अनटाइड) ग्राण्ट ग्रामीण निकायों को 11वीं सूची के सूचीबद्ध 29 विषयों की आवश्यकताओं पर व्यय करने के निर्देश दिये गये है। उक्त धनराशि से वेतन एवं स्थापना व्यय को प्रतिबन्धित किया गया है।
- संस्तुत रिपोर्ट में 60 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट पेयजल एवं सैनीटेशन के इम्प्रूवमेन्ट हेतु प्राविधानित किया गया है, जिसमें 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन एवं वाटर रिसाइक्लिंग तथा 30 ओ0डी0एफ0 स्टेट्स को मेन्टेनेन्स एवं सेनीटेशन हेतु उपभोग किया जाना।
- पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित ग्राण्ट को पब्लिक डोमेन पर आनलाइन ऑडिट प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही आगामी वित्तीय वर्षों में ग्राण्ट सम्बन्धित निकाय को दिया जायेगा।

केन्द्रीय वित्त–15वाँ वित्त आयोग की धनराशि का वितरण:–

- जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरण।
- जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में वितरित किया जाना।
- ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों का बंटवारा कुल जनसंख्या का 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का 10 प्रतिशत भार किये जाने की व्यवस्था है।

15वें वित्त आयोग के प्राविधानित कार्य

टाइड फण्ड (60 प्रतिशत):–	अनटाइड फण्ड (40 प्रतिशत):–
• खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) स्थिति की स्वच्छता और रख–रखाव। • पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुर्नचक्रण की आपूर्ति। • सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख–रखाव की व्यवस्था। • दूषित जल प्रबन्धन, सीवर प्रणाली का विकास तथा रख–रखाव। • सीवेज व सेप्टेज मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट की व्यवस्था– • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट–सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण व रख–रखाव आदि। • पाईप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना इसका रखा–रखाव। • वर्षा जल का संचयन। ट्रीट जल का Recycle एवं Reuse। • आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति (मैन पावर) एवं आवश्यक अन्य प्रशासनिक व्यय (10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर)।	स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियां सम्बन्धित विभागों के परामर्श से, बच्चों का टीकाकरण, बच्चों के कुपोषण की रोकथाम, ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत; ग्राम पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, पैदल पथों का निर्माण व मरम्मत एवं रख–रखाव; एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइटिंग का निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव, भूमि का अधिग्रहण और अन्त्येष्टि स्थलों व श्मशान स्थलों का निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव; ग्राम पंचायत के अन्दर पर्याप्त एवं उच्च बैंडविड्थ वाई–फाई डिजिटल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना; सार्वजनिक पुस्तकालय; बच्चों के पार्क; खेल का मैदान; ग्रामीण हाट; खेल और शारीरिक फिटनेस उपकरण आदि सहित मनोरंजन सुविधाएं; तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कोई अन्य बुनियादी सुधार/उन्नत सेवायें; विद्युत अन्तर्गत आवर्ती व्यय; आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति (मैन पावर) एवं आवश्यक अन्य प्रशासनिक व्यय (10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर); प्राकृतिक आपदा/महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य; विभिन्न अधिनियमों/कानूनों के तहत पंचायतों को विशेष रूप से अधिदेशित जिम्मेदारियों का निर्वहन।

अनुदान के अन्तर्गत निम्नांकित मदो पर व्यय किये जाने की अनुमति नही हैः– अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित वित्त पोषित मदों पर व्यय, अभिनंदन/सांस्कृतिक समारोह/सजावट/उद्घाटन, निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय, टीए/डीए और मौजूदा कर्मचारियों/स्थायी कर्मचारियों के वेतन/मानदेय और इस घटक के तहत अनुबंध, डोल/पुरस्कार, मनोरंजन, वाहनों व एयर–कंडीशनर का क्रय।

15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2020–26 तक प्राविधानित धनराशि

वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
धनराशि	9752.00	7208.00	7466.00	7547.00	7994.00	7797.00

- राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि पी0एफ0एम0एस0 व कोषागार के माध्यम से सीधे उनके खाते में निर्धारित समयावधि के अन्दर हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।
- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (https://egramswaraj.gov.in) पर किया जाना प्राविधानित है।

- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु प्रेषित इन्टीमेशन लेटर के सापेक्ष ऑब्जरवेशन रिकार्ड करते हुए ऑडिट किया जाता है।

राज्य वित्त आयोग

संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) एवं 243 (वाई) के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु राज्य के कुल कर एवं कर्यतर राजस्व में से स्थानीय निकायों के हिस्सेदारी नियत करने हेतु प्रत्येक पांच वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग के एक गठन की व्यवस्था की गई।

संविधान के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग गठित करते हुए आयोग की संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश–38/2020/1751/33–3–2020– 38/2020, दिनांक–18.08.2020 के द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये है।

पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूलाः–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है।
2. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जाता है।

2– संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्तः–

पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निम्न कार्य करा सकती हैः–

1– शासकीय भवनों का रख–रखाव 2– स्ट्रीट लाईट 3– खुले में शौच से मुक्ति(ओ0डी0एफ0) 4–शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयकों का भुगतान 5– पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रख–रखाव 6–पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव 7– ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन 8–सामुदायिक शौचालय/जनसुविधाएं 9–अन्त्येष्टि स्थल की वाउण्ड्री 10–ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- इसके अतिरिक्त शासनादेश–1196/33–3–2019–एल0सी0/2017, दिनांक–24.05.2020 के द्वारा छुट्टा/निराश्रित पशुओं हेतु निर्मित कराये जा रहे गोशालाओं में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से पेयजल (हैण्डपम्प) एवं प्रकाश व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये है।
- शासनादेश संख्या–1076/33–1–2020–3003/2017, दिनांक–02.06.2020 के द्वारा पंचायतों में स्थापित एवं संचालित गो–संरक्षण केन्द्रों हेतु इच्छुक कृषकों के खेतों पर अनुप्रयोजित फसल अवशेष को काट कर भूसे में परिवर्तित किये जाने हेतु मशीनरी एवं मानव श्रम पर व्यय, गो–संरक्षण केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत एवं उसमें निहित मानव श्रम पर व्यय, भूसा संग्रह हेतु निर्मित किये जाने वाले परम्परागत भूसे के कूप या खोप या भक्कू या बुर्जी आदि, को बनाने में लगने वाली सामग्री यथा बांस/पुआव/रस्सी आदि पर आने वाला व्यय एवं उसको बनाने हेतु भवन श्रम पर आने वाला व्यय, गो–संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित पशुओं की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार नियोजित किये जाने वाले गो–सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान के कार्यों पर राज्य वित्त आयोग की धनराशि के व्यय की अनुमन्यता की गई है।
- शासनादेश संख्या–1075/33–1–2020–3003/2017, दिनांक–02.06.2020 के द्वारा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत **ग्रामीण अन्चल में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो इसलिए ऐसे परिवार को एक बारीय ग्राम पंचायत तत्काल 1000 रु0 की आर्थिक सहायता,** ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार के गरीबी की दशा में कतिपय परिस्थितियों में अपने बीमारी कराने में सक्षम नही होते है तो उन्हें तत्काल

इलाज के लिए 2000 रु0, की धनराशि तथा आर्थिक रुप से असक्षम परिवार में मृतक व्यक्ति के अन्त्येष्टि हेतु रु0 5000 व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3– त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचम राज्य वित्त आयोग का भुगतान व अन्य कार्यवाही:–

क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ग्राम सभा/क्षेत्र सभा/जिला सभा की बैठक में अनुमोदनोपरान्त ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। सम्बन्धित पंचायतों द्वारा समस्त भुगतान ई–ग्राम स्वराज के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है।

4– कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति:–

(1) ग्राम पंचायत:

क्र0 सं0	कार्यों की सीमा (धनराशि)	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी	तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी
1	रु 5 लाख तक	ग्राम सभा	ग्राम सभा
2	रु 5,00,001 से 7,50000/–	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी कार्मिक
3	रु 7,50001/– से 10 लाख तक	जिला पंचायत राज अधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत
4	10,00,001 से उपर	जिलाधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत

(2) क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्यों का अनुमोदन **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य निमयावली 1984** के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

5– पंचायतों को संक्रमित धनराशि के दुरुपयोग होने पर सम्बन्धित पंचायत के अध्यक्ष/प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम, 1947 में प्राविधानित व्यवस्था एवं उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के अनुसार तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव जो कि शासकीय कर्मी है, के विरुद्ध सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

5– जिला पंचायत:–

जिला पंचायतें पंचम राज्य वित्त संस्तुतियों के अन्तर्गत अंतरित धनराशि अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि पर खर्च कर सकती हैं। केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन बकाये के लिए जिला पंचायतों के लिए अंतरित धनराशि का 01 प्रतिशत इस हेतु गठित पराक्रमी निधि में दिया जाता है। जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रखरखाव एवं सृजन पर व्यय करती हैं। नवसृजित जिला पंचायतें जहां पर कार्यालय भवन उपलब्ध नही है शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकती हैं।

6– पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु धनराशि का निर्धारण:–

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

7– पंचायत कल्याण कोष:–

शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021, दिनांक–16.12.2021 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार को आर्थिक

सहायता हेतु राज्य वित्त आयोग धनराशि से 50 करोड़ का पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया है। जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत हेतु 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत 3 लाख व सदस्य ग्राम पंचायत हेतु 2 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

8– त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्पन्न एवं सुविधायें:–

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1113 / 33–2–2006–34जी0 / 01टी0सी0–11, दिनांक–20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या–6368 / 33–2–2006–34 जी0 / 2001 टी0सी0–11, दिनांक–26.12.2006 तथा शासनादेश संख्या–02 / 33–2–2014–34जी0 / 01 टी0सी0–11, दिनांक–07.01.2014 एवं शासनादेश दिनांक–22.11.2016, शासनादेश संख्या–2350 / 33–3– 2021–2257 / 2021, दिनांक–16.12.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य की भूमिका

अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से संबंधित ऐसे कार्य जो क्षेत्र पंचायत विकास योजना में शामिल किये गये है, को वित्त आयोग के संस्तुतियों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से पूर्ण कराने में सहयोग सुनिश्चित करना।

4
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)

उल्लेखनीय उपलब्धियां–स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)–प्रथम चरण

- 2.18 करोड़ शौचालय का निर्माण
- वित्तीय वर्ष 2017–18:
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम हेतु आयोजित हुये स्कॉच अवार्ड प्रतियोगिता में रजत पदक।
- नेशनल रुरल सैनिटेशन सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को 735 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवन्टन प्राप्त हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20: स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक अनवरतः स्वच्छ शौचालय निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- वित्तीय वर्ष 2020–21:
- गरीब कल्याण योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- स्वच्छ सुन्दर सामुदायिक शौचालय में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान।
- गन्दगी मुक्त भारत में प्रथम स्थान।
- गरीब कल्याण योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद प्रयागराज, हरदोई एवं फतेहपुर को निर्धारित अवधि में सर्वाधिक सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रथम चरण में पंचायत के मा0 जन प्रतिनिधियों का अतुलनीय योगदान

- मांग सृजन
- समुदाय का व्यवहार परिवर्तन
- सामुदायिक भागीदारी
- शौचालय निर्माण व गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

स्वच्छता के प्रभाव

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वितीय चरण 20–2021 से 24–2025

मुख्य उद्देश्य

- ग्रामों के ओ0डी0एफ0 की स्थिति को बनाए रखना।
- ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार करना।
- ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस का स्तर प्राप्त करना।
- खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्राम के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ओ0डी0एफ0 प्लस अभियान में जन समुदाय को जोड़ना।
- पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर एवं स्थायी बनाना

अवधि 2020–21 से 2024–25 तक

वित्तीय व्यवस्था– केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण और विभिन्न योजनाओं के बीच कन्वर्जेन्स।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वितीय चरण– मुख्य घटक

- व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक अभिप्रेरण
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
- शौचालय मरम्मत/रेट्रोफिटिंग
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management)

- ➢ मलीय कीचड़ प्रबंधन (Fecal Waste Management)
- ➢ मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन (Menstrual Waste Management)

प्रस्तावित मुख्य गतिविधियां

1. प्रत्येक परिवार के पास शौचालय की उपलब्धता/सुलभता

- ✓ नये पात्र परिवारों में शौचालय निर्माण अथवा सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग
- ✓ सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं शासनादेश 15 जुलाई के अनुरुप अनुरक्षण
- ✓ अक्रियाशील व्यक्तिगत शौचालयों को क्रियाशील शौचालय में परिवर्तन
- ✓ पूर्व निर्मित शौचालयों मे सुरक्षित तकनीक के अनुरूप इन्हे प्रयोग योग्य बनाया जाना (रेट्रोफिटिंग)
- ✓ ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य द्वारा शौचालय का प्रयोग सुनिश्चित करना

2. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन–पिट कम्पोस्टिंग,बिन कम्पोस्टिंग, नाडेप, हीप कम्पोस्टिंग, विंड्रो कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग एवं बायोगैस इकाई इत्यादि।
- ✓ तरल अपशिष्ट प्रबन्धन–सोख्ता गड्ढा, लीच पिट, किचेन गार्डेन, डबलूएसपी तकनीकि, डकविड तकनीकि इत्यादि।
- ✓ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–प्रयोग पर प्रतिबन्ध, संग्रहण, मार्केट लिंकेज, रिसाइकिंलिंग तथा लैंड फिलिंग
- ✓ गोबर धन सम्बन्धित गतिविधियां
- ✓ मलीय कचरा प्रबन्धन– लीच पिट सफाई/रियूज एवं सेफ्टिक टैंक/काला पानी प्रबन्धन
- ✓ मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन– इन्सनीरेटर आदि का निर्माण

<u>वित्तीय प्राविधान – स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) द्वितीय चरण</u>

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

5000 की जनसंख्या तक:

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 60/– प्रति व्यक्ति तक
- ✓ ग्रे वॉटर प्रबंधन रू0 280/– प्रति व्यक्ति तक

5000 से अधिक जनसंख्या तक:

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 45/– प्रति व्यक्ति तक
- ✓ ग्रे वॉटर प्रबंधन रू0 660/– प्रति व्यक्ति तक
- ✓ प्रत्येक गांव अपने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम् 100000 रु0 तक व्यय कर सकता है।
- ✓ गांव में ठोस अपशिष्ट के लिये मात्राकृत धनराशि में से बचत की स्थिति में आवश्यकतानुसार तरल अपशिष्ट के लिये एवं तरल अपशिष्ट के लिये मात्राकृत धनराशि में से बचत की स्थिति में आवश्यकतानुसार ठोस अपशिष्ट के लिये किया जा सकेगा।

- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक विकास खण्ड में एक)–प्राविधानित धनराशि –प्रति इकाई रू0 16 लाख तक
- मल गाद प्रबंधन/फिकल स्लज मैनेजमेन्ट **(FSM)** –प्राविधानित धनराशि – रू0 230/– प्रति व्यक्ति तक
- गोबर–धन **(GOBAR-Dhan)** प्राविधानित धनराशि – प्रति जनपद रू0 50 लाख तक
- शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशि – रू0 12000/– (पूर्ववर्ती प्राविधान)

वित्तीय प्राविधान 15वां/पंचम वित्त आयोग

- 40 प्रतिशत बेसिक ग्रांट (अनटाइड) जो कि ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों (वेतन एवं स्थापना के अतिरिक्त)
- 60 प्रतिशत बद्ध अनुदान (टाइड) ग्रान्ट जो कि जल एवं स्वच्छता सहित आदि राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में किया जायेगा।
- निर्धारित 60 प्रतिशत टाइड ग्रान्ट 70:15:15 प्रतिशत के अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये अनुमन्य।

पंचम वित्त आयोग अन्तर्गत आवन्टित होने वाली धनराशि से निर्धारित व्यवस्था

- ओडीएफ स्थायित्व से सम्बधित गतिविधियां
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- समुदायिक शौचालय/जन सुविधायें

सफल अपशिष्ट प्रबन्धन के सिद्धान्त

- अपशिष्ट उत्सर्जन से सम्बन्धित व्यक्ति ही प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी।
- अपशिष्ट पृथक्करण व वर्गीकरण समुचित प्रबन्धन की कुंजी है।
- अपशिष्ट प्रबन्धन मुख्यतः व्यक्तिगत/सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम है।
- अपशिष्ट उत्सर्जन वाले स्थान के निकट प्रबन्धन की व्यवस्था उपयोगी होती है।
- सामूहिक उत्तरदायित्व ही अपशिष्ट प्रबन्धन की सफलता का मूल मंत्र है।
- तकनीकी विकल्पों का तुरन्त या लम्बे अंतराल पर एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए।
- तकनीकी विकल्प समुदाय/परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए।
- तकनीकी विकल्प समुदाय के द्वारा वहन करने योग्य होना चाहिये तथा समुदाय अपनी निपुणता और
- वित्तीय संसाधनों के अनुसार तकनीकी विकल्पो में थोड़ा संशोधन कर निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

दृष्टिगोचर स्वच्छता

- मुख्य मार्गों, एवं बाजार के क्षेत्रों में कम से कम एक बार दैनिक सफाई
- मुख्य मार्गों, व्यवसायिक/बाजार के क्षेत्रों में नियत स्थान पर कुड़ेदान/डम्पस्टर रखना एवं इसकी नियमित सफाई करना।
- बाजार में दुकानदारों व ठेले, खोमचे वालों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना दुकान, ठेले आदि पर उत्पन्न हो रहे कुड़े को बोरी या डस्टबिन में डालकर समुचित स्थान/डम्पस्टर पर पहुंचाना।
- शनिवार व रविवार को ग्राम पंचायत में विशेष स्वच्छता/सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित कराना
- अन्य गतिविधियां जो ग्राम पंचायत को स्वच्छता के साथ–साथ आकर्षक बनाने में सहायक हो का संचालित करना।

ओडीएफ प्लस मानक

- ओ0डी0एफ0प्लस, उदीयमान–ओडीएफ स्थायित्व+ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
- ओ0डी0एफ0प्लस, उज्जवल–ओडीएफ स्थायित्व+ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन+तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- ओ0डी0एफ0 प्लस–उत्कृष्ट

समस्त ग्रामों को उत्कृष्ट ओ0डी0एफ0प्लस की स्थिति प्राप्त करना है,

- ग्राम के सभी परिवारों को कार्यात्मक शौचालयों की सुलभता,
- सभी विद्यालयों/आंगनवाडी केन्द्रों/पंचायत घरों में महिला/पुरूषों के लिए पृथक–पृथक कार्यात्मक शौचालय की सुलभता,
- ग्राम के सभी सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–करकट न होना, अपशिष्ट जल जमाव न के बराबर हो एवं प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रीकरण(ढेर) न हो,
- ग्राम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था हो,
- ग्राम में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था हो
- ग्राम के सार्वजनिक स्थलों पर ओ0डी0एफ0 प्लस के आई0ई0सी0 सन्देश प्रमुखता से प्रदर्शित किये गये हो, मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

पंचायतों की भूमिका

- ग्राम स्वच्छता प्लान तैयार करना।
- गांव/ग्राम पंचायत का ओ.डी.एफ. दर्जा बनाए रखना एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का सहयोग।
- स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से शौचालायों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जागरूकता उत्पन्न करने और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करना।
- जहां आवश्यक हो, वहां रेट्रोफिटिंग या नवीकरण के लिए व्यावहारिक सहायता प्रदान करना
- समुदायों में सभी लोगों (पुरूष, महिलाओं, बच्चों) के बीच शौचालयों का सदैव इस्तेमाल किये जाने के संबंध में जागरूकता बढ़ाना
- शौचालयों के नियमित रखरखाव और उन्हें कार्यात्मक बनाये रखने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित रूप से चर्चा करना

- निगरानी समितियों की गतिशीलता।
- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियों को लागू करना एवं व्यक्तिगत घरेलू स्तर के प्रबन्धन के लिए परिवारों और समुदायों की यथा आवश्यक मदद करना

क्षेत्र पंचायतों की भूमिका

15वें वित्त के टाइड ग्रांट के अन्तर्गत शासनादेश 1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्त

- ➢ सामुदायिक शौचालय का निर्माण अपनी सीमान्तर्गत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील परिसर, विकास खण्ड परिसर, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, बाजारों आदि पर कराना।
- ➢ निर्मित सामुदायिक शौचालयों/स्वच्छता परिसर के परिचालन, साफ–सफाई एवं अनुरक्षण।
- ➢ यथासम्भव सामुदायिक शौचालयों को एक बिजनेस मॉडल के रुप में विकासित करना।
- ➢ सार्वजनिक स्थलों/Rest Area/ जनसुविधा केन्द्र (शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों की पार्किंग) के लिये व्यवस्था करना।
- ➢ बाजारों, हाट पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना।

क्षेत्र पंचायतों से अपेक्षा एवं भूमिका

सहयोग एवं हैण्डहोल्डिंग	• ग्राम पंचायत कों जोड़ने एवं उनके मध्य संचालित की जाने वाली गतिविधियों को ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित कराते हुये वित्तीय गैप को पूर्ण कराना। • गोबरधन योजना का चयन एवं संचालन • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के संचालन हेतु गैप का आकलन एवं सहयोग • समुदायिक गतिविधियों के संचालन और रखरखाव के लिए व्यवस्था बनाना
जन जागरुकता/ जनान्दोलन	• विकास खण्ड स्तरीय स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन। • ग्राम प्रधान एव क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उन्मुखीकरण • प्रधान, सचिव/एडीओ का रिफ्रेशर • विकास खण्ड के मुख्य मार्गों एवं बाजारों में होर्डिंग/बोर्ड की स्थापना • मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जन जागरुकता
संसाधन तैयार करना	• विकास खण्ड स्तरीय प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र की स्थापना • कई ग्रामों के संकलित ग्रेवाटर की प्रबन्धन की व्यवस्था • सैनिटाइजेन हेतु फॉगिंग मशीन/स्प्रेयर व सेफ्टिक टैंक को खाली करने आदि की व्यवस्था कराना • अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बाजारों, हॉट पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण • मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु इन्सनिरेटर की स्थापना
अभिसरण	• क्षेत्र पंचायत की योजना में एसएलडब्लूएम को प्राथमिकता की सूची में सम्मिलित करना • विकास खण्ड में विभागों के मध्य समन्वय समिति का गठन एवं वित्तीय व्यवस्थाओं में कन्वर्जेन्स कराना

जिला पंचायतों की भूमिका

15वें वित्त के टाइड ग्रांट के अन्तर्गत शासनादेश 1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्त

- सामुदायिक शौचालय का निर्माण अपनी सीमान्तर्गत कलेक्ट्रेट परिसर, अस्पताल, विकास भवन, जिला पंचायत परिसर, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, बाजारों आदि पर कराना।
- निर्मित सामुदायिक शौचालयों/स्वच्छता परिसर के परिचालन, साफ–सफाई एवं अनुरक्षण।
- यथासम्भव सामुदायिक शौचालयों को एक बिजनेस मॉडल के रुप में विकासित करन।
- प्रदेश के नेशनल हाईवे/स्टेट हाइवे/मेजर डिस्ट्रिक रोड आदि पर Rest Area/जनसुविधा केन्द्र(शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों की पार्किंग) के लिये व्यवस्था करना।
- बाजारों, हॉठ पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना।

जिला पंचायतों की भूमिका

15वें वित्त के टाइड ग्रांट के अन्तर्गत शासनादेश 1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्त

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन– इकाई की स्थापना, प्लास्टिक/थर्माकोल के विनिर्माण व प्रयोग को प्रतिबन्धित करना तथा संग्रहण रि–यूज व रिसाइकिल की व्यवस्था करना।
- बाजारों, हाठ पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था
- तरल अपशिष्ट हेतु वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड
- मलीय अपशिष्ट प्रबन्धन
- गोबरधन परियोजनायें एवं बायोगैस संयंत्र
- जल संचयन/भूजल पुर्नभरण के कार्य

नियोजन–ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

ग्राम पंचायत स्वच्छता योजना योजना

- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण और जल जीवन मिशन के समेकित कार्यान्वयन "ग्राम कार्य योजनाएँ" तैयार करेगीं।
- ग्राम कार्य योजना, GPDP और साथ ही संबंधित जिला स्वच्छता योजनाओं के अनुवर्ती निर्माण में एक इनपुट संसाधन के रूप में कार्य करेगी।
- ग्राम सभा की स्वीकृति एवं जिला स्वच्छता समिति को भेजना।

ग्राम पंचायत योजना में निम्नलिखित की अनिवार्यता, पहचान की जाएगी–

- नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इस योजना में यह तय किया जाएगा कि इन घरों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा अथवा सामुदायिक स्वच्छता परिसर।
- किसी भी खराब शौचालय की मरम्मत करने, अपग्रेड करने/कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यकलाप।

- जल जीवन मिशन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यकलाप। यह गांव में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए विकसित ग्राम कार्य योजना में सहमति प्राप्त कार्यों के अनुरुप होने चाहिए।

ग्राम पंचायत योजना में निम्नलिखित की अनिवार्यता, पहचान की जाएगी–

- वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले व्यक्तिगत साफ–सफाई संवर्धन कार्यकलाप।
- वर्ष में आवश्यक आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यकलाप, उनके कार्यान्वयन की योजना, समय निर्धारण, निधियन।
- ठोस कचरा और तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्थान और परिसंपत्तियों की संख्या।
- वार्षिक परिचालन एवं रख–रखाव लागतों को पूरा करने के लिए निधियों के स्रोत सहित परिचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था।
- किसी कार्य के लिए निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी एजेंसियों को शामिल करना और उनके नियोजन के नियम व शर्तें।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव में की जाने वाली गतिविधिओं का विवरण।
- प्रत्येक गतिविधि के लिए बजट का आवंटन और वित्तपोषण स्रोतों की पहचान।

नियोजन–ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना योजना

- प्रत्येक **क्षेत्र/जिला पंचायत** 15वां केन्द्रीय वित्त/पंचम राज्य वित्त अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के अनुरुप यथावश्यक स्वयं के संसाधनों से भी अभिसरण करते हुये कार्य योजनाएँ" तैयार करेगीं।
- कार्य योजना, क्षेत्र/जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करते हुये जिला स्वच्छता समिति को अग्रसारित की जायेगी।
- कार्य योजना, GPDP एवं साथ ही संबंधित जिला स्वच्छता योजनाओं के अनुवर्ती निर्माण में एक इनपुट संसाधन के रूप में होगी।

नियोजन–ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

जिला स्वच्छता योजना

- प्रत्येक जिला अपनी ग्राम पंचायतों की ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करके और चरण–2 के कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक और जिला स्तरों पर किए जाने वाले कार्यकलापों को शामिल करके एक जिला स्वच्छता योजना तैयार करेगा।

जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

- नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इसे ग्राम कार्य योजनाओं से लिया जाएगा।
- प्रमुख आईईसी कार्यकलाप जिनका उपयोग स्थायित्व, व्यवहार परिवर्तन तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट परिसंपत्तियों के कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा व उनका वित्त पोषण, प्रसार, स्टाफिंग, मीडिया योजना और समय–निर्धारण।
- प्रमुख क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्यक्रम।

जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

- प्रतिवर्ष प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के निर्माण की संख्या और विवरणिका का कार्यक्रम।
- जिले में **FSM** के कार्यान्वयन का कार्यक्रम।
- वर्ष के दौरान बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरा प्रबंधन हेतु चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
- वर्ष के दौरान गंदला जल प्रबंधन के लिए चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
- कार्यकलापों को पूरी तरह वित्तपोषित करने के लिए वित्त आयोग, मनरेगा आदि से धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए स्थापित अभिसरण तंत्र।
- निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन की व्यवस्था।
- सभी जनपद वर्ष 2020–21 से प्रतिवर्ष **SSM** द्वारा तय की गई तारीख के अनुसार योजना तैयार करेंगे और राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे एमआईएस पर अपलोड करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)–गरीबी उन्मूलन

- कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर मनरेगा, 15वां केन्द्रीय वित्त, पंचम राज्य वित्त, एसबीएम तथा अन्य योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण जनों को उनकी क्षमतानुसार कार्य/रोजगार की व्यवस्था।
- मुख्यतः महिला, गरीब, पिछड़े एवं दलित वर्ग को व्यक्तिगत/सामुदायिक माध्यमों से आर्थिक गतिविधियों से आच्छादित करना।
- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक शौचालयों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव ।
- ग्रामीण जनों को उनकी क्षमतानुसार मिशन के दृष्टिगत क्षमतावर्धन।
- स्वच्छ भारत मिशन में निर्धारित गतिविधियों में यथासम्भव मार्केट लिंकेज।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका

- अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं पंचायत स्तर पर कार्यरत विभागीय कर्मियों एवं ग्राम वासियों को ओ0डी0एफ0 प्लस बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- प्लास्टिक के कचरा प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तक पहुँचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करना।

5
स्वयं की आय स्रोत (O.S.R.) (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत)

स्वयं के आय के स्रोत

स्वयं की आय के स्रोत अर्थात पंचायतों की खुद की आय वह आय है, जो पंचायतें अपने खुद के प्रयास से सृजित करती हैं। अर्थात पंचायतें सुविधाओं एवं सेवाओं के बदले अपनी सीमा के अंदर नागरिकों से उनकी सहमति से कर–शुल्क, फीस अथवा अंशदान के रूप में वसूल करती है।

पंचायत को अपने आयस्रोतो की आवश्यकता क्यों?

पंचायत की उन प्राथमिकताओं या योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे जिनके लिए कोई स्कीम नहीं है? इस संदर्भ में मूलतः दो स्रोतों को चिन्हित किया जा सकता हैः–

- गैर–कर आय के स्रोत
- करारोपण.

इन दोनों स्रोतों के कई पहलू हैं. यह देखने की जरूरत होगी कि सभी पंचायतों के पास एक समान परिसम्पत्ति नहीं होती क्या कुछ नई परिसम्पत्तियां सृजित की जा सकती हैं? पंचायतें सीधे अपनी परिसम्पत्ति से या उनका विकास करके कितना धन जुटा सकती हैं? इसी प्रकार, करारोपण की कितनी गुंजाइश है? हम यह मानकर चल रहे हैं कि सभी पंचायतों में स्थानीय संसाधन एक समान नहीं हैं और उन पर करारोपण की सम्भावनाएं भी एक समान नहीं हैं इसी प्रकार, किस मामले में करारोपण किया जाए,या न किया जाए, या किसे कर के दायरे से मुक्त रखा जाए, यह सब उस पंचायत और वहां के नागरिकों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

गैर करारोपण से स्वयं की आय के उदाहरण –

- पंचायत की परिसम्पत्तियों उदाहरण के लिए, फलदार वृक्षों के फलों, वृक्षों की कटाई–छटाई से निकलने वाली लकड़ियों, पोखर या तालाब में मछलियों की सालाना नीलामी से होने वाली आमदनी।
- अनुत्पादक परिसम्पत्तियां जैसे कोई अप्रयुक्त या बंजर भूमि पर व्यावसायिक दृष्टि से कोई बाजार या कार्यालय बनवाना या वहां पेड़ लगवा देना या सामुदायिक केन्द्र बनवा देना आदि।
- श्रमदान अप्रत्यक्ष रूप से आय के स्रोत का एक जरिया हो सकता है।
  कुछ पंचायतों की वीडियों फिल्म दिखाना जिन्होने स्वयं की आय की हो जैसे (Public Address System, Water ATM, CCTV) आदि।

पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा–37 में ग्राम पंचायतों हेतु करारोपण संबंधी निम्न व्यवस्था की गयी है:–

खण्ड / उपखण्ड
धारा 37. करों तथा शुल्क का आरोपण–1– ग्राम पंचायत एतद्पश्चात् दिये गये खंड (क) और (ख) में कथित कर लगायेगी और खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है, अर्थात
(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जौनसार–बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया, {कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है} प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू–राजस्व देय अथवा देय समझा जाये, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।
(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में मौलिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व को धनराशि पर प्रति रूपया {कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है} प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भू–राजस्व का देनदार हो, से भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।
(ग) प्रेक्षागृह (थियेटर), चलचित्र (सिनेमा) अथवा इसी प्रकार के मनोरजंन कार्य जो अस्थाई रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हो पर कर, परन्तु यह कर 5/– रूपये, प्रतिदिन से अधिक न होगा।
(घ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाये जाने वाले यंत्रचालित वाहनों से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय लगा सकते हैं, जो निम्नलिखित दर से होगा– (1) पशुओं के सम्बन्ध में प्रति पशु 3/– वार्षिक से अधिक न होगा। (2) वाहनों के सम्बन्ध में प्रति वाहन 6/– वार्षिक से अधिक न होगा।
(ङ) उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड (ग) के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर कर लगा सकती है, जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करें, जो संबंधित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में हो;
(च) उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हों, जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व व नियंत्रण में हों,
(छ) बधशालाओं और पडाव की भूमि के प्रयोग के लिये शुल्क लगा सकती है,
(ज) जल शुल्क, जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा घर के उपभोग के लिए संभारित किया जाता हो, और (झ) यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, तो निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिए कर लगा सकती है जो उन मकानों के, जिनसे वे शौचालय व नालियाँ साफ हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा, और (ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर

(ट) जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा सिचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजना जल संभरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर।

(ठ) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए हो और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

2—उपधारा (1) के अधीन कर, उपशुल्क तथा शुल्क उस रीति से और ऐसे समय पर जो विहित किये जायें, आरोपित, निधारित तथा वसूल किये जायेंगे।

धारा 37 (क) कर उपशुल्क अथवा शुल्क लगाये जाने के विरूद्ध अपील—ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये कर, उपशुल्क अथवा शुल्क के विरूद्ध अपील विहित प्राधिकारी को की जा सकेगी।

OSR के संभावित स्रोत

1. नए घरों के निर्माण पर शुल्क – ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में सबकी सहमति से निर्णय लेकर अधिरोपित करें।
2. भवन के लिए कर, शुल्क अथवा फीस
3. बोरिंग पर टैक्स या स्वयं के अलावा बोरिंग से दूसरे के खेत की सिचाई के लिए शुल्क
4. ग्राम पंचायत की परिधि में आने वाले व्यवसास पर शुल्क
5. बाज़ार, हाट, मेले एवं उत्सव के आयोजन पर शुल्क
6. आर.ओ. वाटर के लिए सांकेतिक दर पर पीने के पानी की उपलब्धता
7. सड़क के किनारे की ज़मीन पर दुकान बनाकर किराया वसूलना
8. राजस्व संहिता के नियमों का पालन करते हुए तालाबों के पट्टे पर शुल्क
9. पानी की टंकी का निर्माण कर टैप के माध्यम से जल वितरण एवं शुल्क का आरोपण
10. सार्वजनिक संपत्ति पर शुल्क का अधिरोपण एवं प्रबंधन
11. ग्राम पंचायत की खाली ज़मीन पर औषधीय खेती एवं आय
12. ओपन जिम/पार्क/सामुदायिक भवन आदि के सार्वजनिक उपयोग से आय का सृजन
13. ग्राम पंचायत की सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों से कर वसूली
14. पंचायत की बंजर ज़मीन को किराये पर उठाकर आय सृजित करना
15. कूड़ा—कचरा प्रबंधन पर सुविधा शुल्क
16. गौशाला के उत्पादों से आय का सृजन
17. सोलर पैनल लगाकर बिजली की सप्लाई एवं शुल्क अधिरोपण
18. लघु वन उपज शुल्क
19. जन सेवा केन्द्र से शुल्क अथवा फीस
20. पुस्तकालय से टैक्स
21. खानों एवं खदानों के प्रयोग से टैक्स
22. ईंट भट्टों से टैक्स
23. मत्स्य पालन से शुल्क
24. स्वयं सहायता समूह के व्यवसाय से शुल्क

25. व्यक्तिगत पशुओं से ग्राम पंचायत के बाग, वन, पेड़ पौधे की क्षति से टैक्स
26. तालाबों के पट्टों की नीलामी
27. बारात घर पर शुल्क आदि।

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 131–(क) क्षेत्र पंचायत हेतु करारोपण संबंधी निम्न व्यवस्था की गयी हैः–

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण – कोई भी क्षेत्र पंचायत, ऐसी नियत रीति से निम्नलिखित करारोपण कर सकती है–

(क) जलकर, जहाँ वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिए, सिचाई के लिए या किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है।

(ख) विद्युत कर, जहाँ वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है।

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिसके अनुछेद, 277 भी है, को तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

क्षेत्र पंचायत द्वारा शुल्क लिया जाना

धारा 142 के अनुसार क्षेत्र पंचायत की सम्पत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिए शुल्क– क्षेत्र पंचायत यथा स्थिति अपनी निहित में या अपने प्रबन्ध में सौपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के– जिसके अन्तर्गत कोई सार्वजनिक मार्ग ऐसा स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप (projections) की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है (पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिए शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायेगा।

धारा 143 लाइसेन्स शुल्क आदि क्षेत्र पंचायत किसी ऐसे लाइसेन्स, स्वीकृति या अनुमति के लिए जिसे स्वीकृत करने का उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन हक हो या जिसे स्वीकृत कराना उससे अपेक्षित हो शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निश्चित किये जायेगा।

कुछ अन्य शुल्क – राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से क्षेत्र पंचायत विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पडावों के प्रयोग के लिए शुल्क क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण कार्यो या संस्थाओं में से किसी या किन्ही ऐसे कार्यो के जो मूलतः दूर्भित–निवारण या सहायता कार्यों के रूप में प्रारम्भ किये गये हो; प्रयोग के लिए या उनसे होने वाले लाभो के लिए शुल्क, साड़ों तथा बिजाश्वों की सेवा और पशु की रजिस्ट्री के लिए शुल्क ऐसे मेला बाजारों कृषि प्रदर्शनों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के लिए शुल्क चाहे

या उसके प्राधिकार के लिए की जाती हो या अन्यथा – जिनमें जन–साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिनमे क्षेत्र पंचायत सर्वसाधारण के लिए साफ सफाई संबंधी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हो।

धन के मामले में पंचायते हमेशा से केन्द्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रही हैं। अब वह समय आ गया है कि पंचायतें वित्तीय संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए आवश्यक है की पंचायते अपने अपने क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार कर नागरिकों को बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराएं एवं बदले में कर, शुल्क एवं फीस वसूले। इस पारस्परिक लेनदेन से पंचायतें आत्मनिर्भता की तरफ बढ़ेगीं। इससे पंचायतों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

क्षेत्र पंचायतें स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित कर या अन्य निजी उद्यमों के सहयोग से आत्म स्थायी बिजनेस मॉडल्स सृजित कर सकती है जिससे जनोपयोगी कार्यो/सेवाओं या किसी उत्पाद का निर्माण कर सकती हैं जिससे क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें एवं क्षेत्र पंचायत के स्वयं के आय में वृद्धि कर सकती हैं।

स्रोत–

1. **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961**
2. **पंचायती राज विभागीय वेबसाइट–panchayatiraj.up.nic.in.**

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका

- अपने क्षेत्र में स्वयं की आय सृजित करने हेतु किसी संस्था/निजी उद्यम की सहायता से या सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से कोई बेहतर नागरिक सुविधाएं अथवा सेवाओं हेतु बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी परिसम्पत्ति का सृजन कर क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं की आय में वृद्धि करने हेतु अपना योगदान सुनिश्चित करना।
- क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्धारित कर एवं शुल्क को देने हेतु जनसामान्य को प्रेरित/जागरूक करने हेतु अपना सहयोग प्रदान करना।

6

क्षेत्र पंचायत में ई–गवर्नेंस की स्थापना

क्षेत्र पंचायतों में ई–गवर्नेंस की स्थापना

ई–गवर्नेंस द्वारा शासकीय कार्यों को सूचना एवं प्रोद्योगिकी के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाना परिलक्षित है, जिससे सरकारी संस्थाओं को स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने एवं पारदर्शी/जवाबदेही संस्था के रूप में अपनी कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाया जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक ऑनलाइन साफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये हैं, जिनका प्रयोग कर पंचायत अपने कार्यों का बेहतर नियोजन, क्रियान्वयन एवं लेखांकन तथा परिसम्पत्तियों की जीओ–टैगिंग कर जनमानस को समस्त सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से प्रदान कर सके।

उक्त उद्देश्य को सफल करने हेतु केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को ICT (Information & Communication Technology) सरंचात्मक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत अनेक पहल किये गये हैं, उनमें से मुख्य निम्नवत् है–

- e-panchayat mission mode project (MMP) के अन्तर्गत पंचायत एंटरप्राइज सुइट (PES) के माध्यम से ग्राम पंचायतों को web-based एप्लीकेशन साफ्टवेयर प्रदान किये गये हैं, जिनमें ई–ग्राम स्वराज, एलजीडी, ऑडिट ऑनलाइन, नेशनल पंचायत पोर्टल आदि मुख्य है।
- भारत नेट के माध्यम से सभी पंचायतों को 100 एम.बी.पी.एस. के ऑप्टिकल फाइबर लीज लाइन से जोड़ा जा रहा है। उक्त ट्रांसफारमेशन से पंचायतें इण्टरनेट के माध्यम से सभी जानकारियों व सरकारी/गैर सरकारी सेवायें अपनी पंचायत से उपयोग कर पाएगी।
- स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे/ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना से प्रदेश सरकार द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल ऑनलाइन प्रदान की जा रही है।
- CRS (Civil Registration Systems) के द्वारा जनसामान्य को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदान किया जा रहा है।
- प्रदेश में लगभग 60,000 जन सेवा केन्द्र स्थापित है, जिसके माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी नकल, नए राशनकार्ड हेतु आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन इत्यादि जैसी सेवायें प्रदान की जा रही है।
- पंचायतों को कम्प्यूटर/डेस्कटाप प्रदान करना–9500 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत लैपटॉप एवं कम्प्यूटर सिस्टम प्रदान किये गये हैं।

1. ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एवं पी.एफ.एम.एस. प्रणाली

क्यों ई–ग्राम स्वराज?

- पंचायतों को पारदर्शी एवं जवाबदेही संस्था के रूप में विकसित करना।
- सहभागी नियोजन (Participatory Planing) एवं विकेन्द्रीकृत (Decentralized System) प्रणाली की स्थापना।
- कार्य आधारित लेखा (Work Based Accounting)।

प्रस्तावना

पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों का लेखा जोखा पंचायतों के जनसामान्य द्वारा भी देखा जा सके, जिससे वे अपनी पंचायत में हो रहे विकास कार्यों से भिज्ञ हो तथा पंचायतों की पारदर्शी संस्था के रूप में विकसित हो सके। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि पंचायतों द्वारा कार्यों के नियोजन से निष्पादन तक की सभी गतिविधियों को ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाये।

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एक एकीकृत साफ्टवेयर है। जिसमें प्लानिंग, रिपोर्टिंग एवं एकाउन्टिंग को एक दूसरे से लिंक किया गया है। भारत सरकार के इस प्रयास से पंचायतों को ऑनलाइन कार्य करने में अधिक सुविधा होगी एवं पंचायतें पारदर्शी बनेगी।

इस परिपेक्ष्य में उक्त जानकारी को जनसामान्य को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की समस्त पंचायत में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित साफ्टवेयर ई–ग्राम

स्वराज को लागू किया गया है, जो कि पंचायतों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा वेण्डर/आपूर्तिकर्ता/लाभार्थी को ऑनलाइन पेमेण्ड प्रणाली से सीधे उनके खाते में भुगतान किया जा सके।

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित एक एकीकृत साफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा पंचायतों की कार्य प्रणाली यथा–सहभागी नियोजन, क्रियान्वयन (भौतिक प्रगति), वित्तीय प्रगति एवं परिसम्पत्तियों के सृजन से सम्बन्धित कार्यों एवं सूचनाओं का ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाता है।

सर्वप्रथम पंचायतों द्वारा अपनी वार्षिक कार्ययोजना को अपलोड कर प्रत्येक कार्य के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है एवं पंचायतों द्वारा कराये जा रहे विकास सम्बन्धी कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से जनमानस को प्राप्त होती है, जिससे पंचायतों की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं पंचायतें उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित हो पाती है।

क्षेत्र पंचायत स्तर के विभागीय अधिकारी यथा–बीडीओ, तथा जनप्रतिनिधियों ग्राम प्रधान के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ही पंचायत के ऑनलाइन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही संपादित होती है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सभी ब्लाक प्रमुख अपने डिजिटल सिग्नेचर का आदान–प्रदान किसी और से न कर स्वयं ही ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रयोग करें।

पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व ऑनलाइन पेमेण्ट प्रणाली के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

- समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुएवार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) बनाकर क्रियान्वयन एवं भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के इण्टीग्रेटेड साफ्टवेयर **ई–ग्राम स्वराज** के माध्यम से की जायेगी।
- पंचायतों द्वारा कार्ययोजना विकसित करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी एक कार्य को टुकड़ों में विभाजित करके सम्मिलित नहीं किया जाये।
- प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई–ग्राम स्वराज के साफ्टवेयर पर प्रोगेस रिपोर्टिंग मद में अंकित की जायेगी।
- यहां यह उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग के शासनादेश **संख्या–2350/33–3/2021–2257/2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के द्वारा धनराशि रू0 05 लाख** तक के कार्यों तकनीकी/प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है।
- कार्ययोजना अंकित करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित हो, जिससे पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना जी.पी.डी.पी. अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों का कार्यवार सफल निष्पादन किया जा सके।
- इस प्रकार विकसित कार्यों योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये व्यय का ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. प्रणाली से ऑनलाइन भुगतान मेकर एवं चेकर के संयुक्त डिजिटल सिग्नेचर से किया जाना।
- कार्यों की चरणवार भौतिक प्रगति की Geo-tagging M-Actionsoft मोबाइल एप से किया जाना।
- प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान (यथा–वेण्डर एवं श्रमिकों का भुगतान) सीधे उनके बैंक खातों में ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
- वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाईनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति

ई–ग्राम स्वराज के विभिन्न माड्यूल

क. पंचायत प्रोफाइल–

यह माड्यूल पंचायतों को अपने पंचायत के बारे में संक्षिप्त विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है। जैसे–

- पंचायत में उपलब्ध सुविधाओं सहित संक्षिप्त विवरण।
- पंचायत चुनाव–पंचायत के चयनित प्रतिनिधि, ब्लाक प्रमुख एवं बीडीओ का विवरण।
- पंचायत में गठित समितियां एवं समिति के सदस्यों का विवरण।

पंचायत द्वारा भरी गयी उक्त विवरण जनप्रतिनिधियों– ब्लाक प्रमुख एवं बीडीओ के नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध करना।

ख. प्लानिंग माड्यूल–

यह माड्यूल पंचायतों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना बनाने तथा उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके 02 मुख्य घटक हैं :–

- **रिसोर्स इन्वलप** –वित्तीय वर्ष में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्लानिंग**–विभिन्न योजनाओं में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि के आधार पर पंचायत अपनी वार्षिक कार्ययोजना के अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस माड्यूल के माध्यम से पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना प्रत्येक कार्य को एक यूनिक आईडी प्रदान करता है, जिसके आधार पर उस कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है।

इस माड्यूल के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा ग्रामीण सहभागी आंकलन (Rural Participatory Appraisal) के तहत विकसित कार्ययोजना को अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा प्लानिंग माड्यूल में किये गये कार्यों पर ही पंचायत द्वारा भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही की जा सकती है।

पंचायतों द्वारा अंकित की प्रथम कार्ययोजना को मुख्य कार्ययोजना तथा उसके बाद यदि कोई कार्ययोजना विकसित की जाती है तो उसे अनूपूरक कार्ययोजना कहा जाता है सभी पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम चार अनुपूरक कार्ययोजना अंकित की जा सकती है।

ग. प्रोग्रेस रिपोर्टिंग–

यह माड्यूल पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ भौतिक प्रगति के अंकित एवं उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।

1– **तकनीकी स्वीकृति**–प्रत्येक अनुमोदित कार्य के तकनीकी बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति को अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।

2– **प्रशासनिक स्वीकृति**–प्रत्येक अनुमोदित कार्य के वित्तीय बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।

3— **प्रोग्रेस रिपोर्टिंग** —प्रत्येक कार्य के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् उन कार्यों की भौतिक प्रगति अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

घ. एकाउटिंग माड्यूल—

यह माड्यूल पंचायतों को योजनावार कार्य विवरण सहित वित्तीय लेखा सम्बन्धी दस्तावेज बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके मुख्य घटक निम्नवत् हैः—

1— **मास्टर इंट्री** — पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सम्बन्धित बैंक खातों के विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।

2— **डी.एस.सी. मैनेजमेन्ट** —पंचायतों से सम्बन्धित अधिकारी (मेकर) एवं प्रतिनिधि (चेकर) के डिजिटल सिग्नेचर का पंजीकरण किया जाता है। तदोपरान्त उच्च अधिकारी एवं पी.एफ.एम.एस. से अनुमोदन के उपरान्त भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।

3— **वाउचर/ट्रान्जेक्शन**—पंचायतों द्वारा योजनावार आय (Receipt) एवं व्यय (Payment) का विवरण अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

4— **दैनिक/मासिक/वार्षिक पुस्तिका बन्दी**—यह घटक पंचायतों को अपनी कैशबुक का मिलान सम्बन्धित बैंक खाते से कर दैनिक/मासिक/वार्षिक पुस्तिका बन्द करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस माड्यूल के माध्यम से पंचायतें योजनवार प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदित कार्य के यूनिक आईडी के सापेक्ष विभिन्न वेण्डर की सहायता से धनराशि को आय—व्यय किया जाता है।

पंचायतों द्वारा जिन वेण्डर/आपूर्तिकर्ता तथा लाभार्थियों को भुगतान करने हेतु उन वेण्डर/आपूर्तिकर्ता/लाभार्थियों को ई—ग्रामस्वराज पर अंकित करते हुए पी.एफ.एम.एस. से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि एकाउटिंग माड्यूल अन्तर्गत पंचायतों को मात्र वाउचर इन्ट्री से ही कैशबुक तथा अन्य लेखा सम्बन्धी दस्तावेज साफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही तैयार किया जाता है।

ड. एम—एक्शन साफ्ट—

यह एक मोबाइल एप है, जिसके माध्यम से ई—ग्राम स्वराज के प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एवं एकाउटिंग माड्यूल पर प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वार कार्यों की जीओ टैगिंग एवं फोटोग्राफ अपलोड की जाती है। प्रत्येक कार्य की चरणवार भौतिक प्रगति अंकित किये बिना कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है।

ई—ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन भुगतान करने हेतु आवश्यक तैयारी/व्यवस्थायें

- ब्लाक प्रमुख एवं बीडीओ के पास के क्लास—3 (Signing + encryption) स्तर के डिजिटल सिग्नेचर (डी.एस.सी.)/ डोंगल होना अनिवार्य है।
- कार्यालय अन्य उपयुक्त स्थान पर एक कम्प्यूटर सिस्टम/लैपटॉप के साथ उपयुक्त इन्टरनेट की व्यवस्था हो, जिससे कि पंचायत स्तर के ऑनलाइन भुगतान किया जा सके।

- ऑनलाइन प्रणाली हेतु उपयोग किये जा रहे कम्प्यूटर सिस्टम/लैपटॉप में जावा, डी.एस.सी. साइनर साफ्टवेयर तथा विन्डोज ओ.एस. का होना अनिवार्य है। जावा तथा डी.एस.सी. सिग्नेचर का नवीन संस्करण E-gramswaraj पोर्टल पर उपलब्ध है।
- पंचायत की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तदोपरान्त प्रत्येक आईडी के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को आनगोईंग किया जायेगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर वित्तीय वर्ष की सभी दैनिक/मासिक पुस्तिका को बन्द कर योजनावार प्रारम्भिक अवशेष की त्रुटिरहित गणना किया जाना अनिवार्य होगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का मिलान पी.एफ.एम.एस. पर अंकित जानकारी से किया जाएगा तथा यह विवरण दोनों साफ्टवेयर पर समान होना अनिवार्य है।
- उक्त विवरण सामान होने की दशा में ही योजनावार पोस्टिंग हो पायेगी।
- उक्त ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए पंचायतों का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- क्षेत्र पंचायतों का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 पर उनकी फंडिंग एजेन्सी (राज्य/जनपद) स्तर से ही किया जा सकता है। तत्पश्चात् क्षेत्र पंचायतों द्वारा पी.एफ.एम.एस. पर लॉगिन कर सम्बन्धित स्कीम को बैंक खाते से मैप करते हैं और इसका अनुमोदन जनपद स्तर से लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत का डाटा पी.एफ.एस.एस. पोर्टल से ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर पोर्ट हो जायेगा।
- शासनादेश दिनांक 16 जून एवं 29 जून, 2020 के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर के मेकर, चेकर एवं स्वीकृति निम्नवत् हैः–

पंचायत	**मेकर**	**चेकर**	**जनपदस्तर की स्वीकृति**	**राज्यस्तर की स्वीकृति**
क्षेत्र पंचायत	बीडीओ	ब्लाक प्रमुख	मुख्य विकास अधिकारी	निदेशक, पंचायतीराज

यूजर (जनपद/विकास खण्ड/त्रिस्तरीय पंचायत) निर्माण

ऑनलाइन पेमेन्ट प्रणाली हेतु निम्नलिखित स्तर पर यूजर मॉड्यूल बनाये गये हैः–

- **राज्य स्तर**–मुख्य विकास अधिकारी की प्रोफाइल/डी.एस.सी. का अनुमोदन।
- **जनपद स्तर**–मुख्य विकास अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की प्रोफाइल/डी.एस.सी. का अनुमोदन।
- **विकास खण्ड स्तर**–खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मेकर एवं ब्लाक प्रमुख द्वारा चेकर पर पंजीकरण करने तथा मुख्य विकास अधिकारी स्तर से स्वीकृति के पश्चात् ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा।

मेकर तथा चेकर का प्रोफाइल पंजीकरण

- सम्बन्धित चेकर एवं मेकर को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं यह यूजर वर्तमान में उपयोग किये जा रहे ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के एडमिन यूजर से भिन्न होंगे।

- ऑनलाइन भुगतान किये जाने हेतु मेकर तथा चेकर की आई.डी. एवं पासवर्ड जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के ऑनलाइन पोर्टल पर मेकर एवं चेकर की यूजर प्रोफाइल निर्माण हेतु मेकर/चेकर के द्वारा लॉग–इन कर यूजर प्रोफाइल अन्तर्गत निम्न विवरण अंकित किया जायेगा :–

  नाम–
  पदनाम–
  विभाग–
  मोबाइल नम्बर–
  ईमेल आईडी–

- ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी का वैध ई–मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर का होना अनिवार्य है।

नोट :– नवीन योजना को ऑनलाइन पेमेण्ट हेतु सर्वप्रथम ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के एडमिन यूजर से दैनिक एवं मासिक पुस्तिका को बन्द कर, प्रारम्भिक अवशेष गणना एवं बैंक खाता का विवरण, पी.एफ.एम.एस. से मिलान करने के उपरान्त सर्वप्रथम मेकर की आई.डी. से ही लॉगिन किया जाना अनिवार्य है।

- पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त ओ.टी.पी. से ही सत्यापन उपरान्त भुगतान किया जा सकता है।
- मेकर/चेकर द्वारा अंकित किये गये विवरण के उपरान्त ही उच्च स्तर पर अनुमोदन के लिये प्रेषित होगी।

डी.एस.सी. पंजीकरण एवं अनुमोदन

राज्य स्तर–

- राज्य स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी की डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- सम्बन्धित डी.एस.सी. से जिला स्तर की डी.एस.सी. पर अनुमोदन दिया जायेगा।

जिला स्तर–

- जिला स्तर पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी की डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- सम्बन्धित डी.एस.सी. से विकास खण्ड स्तर की डी.एस.सी. पर अनुमोदन दिया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर–

- विकास खण्ड स्तर पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- मुख्य विकास अधिकारी स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मेकर एवं ब्लाक प्रमुख द्वारा चेकर पर अपनी डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- विकास खण्ड स्तर से पंजीकृत डी.एस.सी. का अनुमोदन मुख्य विकास अधिकारी स्तर से प्राप्त किया जायेगा।
- मेकर द्वारा ई–ग्राम स्वराज पर सभी डेटा इन्ट्री कर डिजिटल सिग्नेचर किया जायेगा।
- चेकर स्तर पर मेकर द्वारा की गयी इन्ट्री पर अनुमोदन प्रदान कर अपनी डी.एस.सी. द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किया जायेगा।

मेकर एवं चेकर का डी.एस.सी. पंजीकरण

- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर मेकर/चेकर लॉग–इन कर मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. मैनेजमेन्ट–डी.एस.सी. पंजीकरण विकल्प पर जा कर डी.एस.सी. को पंजीकृत किया जायेगा।

- डी.एस.सी. पंजीकृत किये जाने के दौरान मेकर/चेकर द्वारा सम्बन्धित डी.एस.सी. टोकन सिस्टम में इनसर्ट किया जायेगा, तत्पश्चात् टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर कर्न्फम साइन–इन किया जायेगा।
- उक्त कार्य के पश्चात् सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मेकर/चेकर के डी.एस.सी. पर अनुमोदन दिया जायेगा।
- उक्त कार्य करते समय मेकर की लॉगिन आईडी से ही सर्वप्रथम लॉग–इन किया जाना अनिवार्य होगा।
- उक्त रूप से डी.एस.सी. विवरण प्रदर्शित होगा, जिस पर सेव डी.एस.सी. विकल्प का चयन करते हुए मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी अंकित किया जायेगा।
- ओटीपी सबमिट करने के उपरान्त डी.एस.सी. अनुमोदन हेतु मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर स्वतः ही उपलब्ध हो जायेगी।
- मुख्य विकास अधिकारी स्तर से क्षेत्र पंचायत स्तर की डी.एस.सी. के अनुमोदन हेतु मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. प्रबन्धन–अप्रूव डी.एस.सी. चयनित किया जायेगा।

वेण्डर/आपूर्तिकर्ता एवं लाभार्थी का पंजीकरण–

- वेण्डर/आपूर्तिकर्ता एवं लाभार्थी पंजीकरण हेतु ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प एजेंसी, इम्पलाई, रेसीडेन्ट विकल्प में किसी एक में निम्न प्रकार से पंजीकृत किया जायेगा–
- एजेन्सी–समस्त वेण्डर आपूर्तिकर्ता
- इम्पलाई–पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी/लाभार्थी एवं ब्लाक प्रमुख।
- रेसीडेन्ट–पंचायत में रहने वाले लाभार्थी ।
- उक्त एजेंसी/लाभार्थी का पंजीकरण हेतु निम्न जानकारी आवश्यक होगी –
    - स्थाई पता–
    - बैंक का नाम–
    - आई.एफ.एस.सी. कोड
    - बैंक का खाता संख्या–
- उक्तानुसार एजेंसी/लाभार्थी का विवरण अंकित करने के उपरान्त मेकर एवं चेकर द्वारा अपनी डी.एस.सी. से अनुमोदित करना अनिवार्य होगा।
- मेकर एवं चेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त एजेंसी/लाभार्थी का विवरण पी.एफ.एम.एस. पर स्वतः अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जायेगा, जिसमें कि न्यूनतम दो कार्य दिवस का समय लगता है।

मेकर द्वारा ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन व्यय वाउचर अंकित करना –

- मेकर द्वारा केवल पी.एफ.एम.एस. से अनुमोदित एजेन्सी को ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन पेमेन्ट हेतु मेकर द्वारा लॉग इन कर ट्रान्जेक्शन वाउचर ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट–वाउचर–एड चयनित किया जायेगा।

व्यय वाउचर का विवरण–

मेकर द्वारा निम्न विवरण व्यय वाउचर के लिए अंकित किया जायेगा–

- नेचर ऑफ पेमेन्ट–एक्सपेन्डीचर
- वर्क आईडी–कार्ययोजना की उस कार्य की आईडी जिस पर भुगतान किया जाना है।
- सम्बन्धित योजना का नाम
- सम्बन्धित एकाउण्ट हेड्

- वाउचर दिनांक
- व्यय का विवरण संक्षेप में–भुगतान क्यों और किसको किया जा रहा है।
- मोड ऑफ पेमेन्ट–पी.एफ.एम.एस.
- एजेन्सी का चयन जिनको भुगतान किया जाना है।

उक्त विवरण अंकित करने के पश्चात् मेकर द्वारा व्यय वाउचर को फ्रीज किया जायेगा।

मेकर द्वारा फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत करना–

- दैनिक पुस्तिका बन्द करने के पश्चात् मेकर द्वारा फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत किया जायेगा।
- एफ.टी.ओ. निर्गत करने हेतु मेकर द्वारा ट्रान्जेक्शन–वाउचर–ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट वाउचर–साइन एफ.टी.ओ. चयनित किया जायेगा।
- निम्नानुसार प्रत्येक व्यय वाउचर पर मेकर (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा।
- पंचायत द्वारा एक दिवस में जितने भी वाउचर उक्तानुसार साफ्टवेयर पर फ्रीज किया गया होगा उन सभी के सापेक्ष दिवस का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दैनिक पुस्तिका बन्दी करते ही एफ.टी.ओ. जनरेट होगा एवं मेकर के द्वारा उस पर अपनी डी.एस.सी. से हस्ताक्षर किया जाएगा।
- मेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त एफ.टी.ओ. की एक फाइल जिसमें सभी डिजिटल हस्ताक्षर किये गये व्यय वाउचर सम्मिलित होगें वे स्वतः ही चेकर (ब्लाक प्रमुख) को ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगें।

चेकर द्वारा फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत करना –

- सम्बन्धित चेकर द्वारा लॉग इन कर निम्नानुसार एफ.टी.ओ. डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- चेकर द्वारा एफ.टी.ओ. निर्गत किये जाने हेतु मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. प्रबन्धन–साइन एफ.टी.ओ. चयनित किया जायेगा।
- चेकर (ब्लाक प्रमुख) के अनुमोदनोपरान्त एफ.टी.ओ. स्वतः ही पी.एफ.एम.एस. तथा बैंक के अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जायेगी, जिसके पश्चात् न्यूनतम दो दिवसों में एजेंसी/लाभार्थी के खाते में धनराशि हस्तान्तरित हो जायेगी।
- यदि किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाता है तो उसकी जानकारी ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर न्यूनतम 02 दिवस के उपरान्त ही उपलब्ध होगी।

रिपोर्टिंग–

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के होम पेज पर ही नियोजन, क्रियान्वयन तथा लेखांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट जैसे–Approved plan, Sector wise report, Cashbook, Online payment report, Report, DSC status reportm, Vender status, Geo-tagging report, amount pending status of PFMS reprot इत्यादि को देखा जा सकता है।

ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. ऑनलाइन पेमेण्ट प्रणाली हेतु पंचायत सचिव एवं प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष के उपयोग हेतु 'क्या करें?' या 'क्या न करें?' सम्बंधी जानकारी।

क्या करें? (Dos)	क्या न करें? (Don'ts)
1– मेकर एकाउन्ट पर सचिव द्वारा स्वयं का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल तथा चेकर एकाउन्ट पर ग्राम प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष द्वारा स्वयं का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल अंकित करें।	1– मेकर तथा चेकर द्वारा अपने ई–ग्राम स्वराज एकाउन्ट पर किसी अन्य, जैसे कम्प्यूटर आपरेटर इत्यदि का मोबाईल नं0 तथा ई–मेल यूजर प्रोफाईलपर अंकित न करें।
2– मेकर/चेकर अपने ई–ग्राम स्वराज एकाउन्ट का यूजर आई0डी0तथा पासवर्ड अपने पास ही रखें।	2– मेकर/चेकर ई–ग्राम स्वराज के यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
3– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 डोंगल अपने पास ही रखें।	3– डी0एस0सी0 डोंगल किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित न करें।
4– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 का उपयोग स्वयं करें तथा फण्ड ट्रान्सफर ऑडर (FTO) पर Digital हस्ताक्षर मेकर/चेकर द्वारा उसी दिन किया जाये।	4– मेकर तथा चेकर फण्ड ट्रान्सफर ऑडर (FTO) पर Digital हस्ताक्षर अलग–अलग दिवस पर न करें।
5– किसी भी तकनीकी समस्या के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।	5– मोबाईल तथा ई–मेल पर प्राप्त OTP किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
6– केवल उन्ही कार्य/ Work ID के सापेक्ष भुगतान करें जिन पर तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका हो।	6–एक्शन सॉफ्ट पर वित्त/प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन अंकित करे बिना किसी कार्य/Work ID के सापेक्ष भुगतान न करें।
7– मेकर/चेकर द्वारा फण्ड ट्रान्सफर ऑडर (FTO) Digital हस्ताक्षर करने के उपरान्त यदि सम्बन्धित भुगतान अगले दिन तक खाते में जमा ना हो तो सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्यभार अनिवार्य रूव से सूचित करें।	7– किसी बड़े लागत के कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर कम लागत के भिन्न Work ID जनरेट न करें। ऐसा करने पर सम्बन्धित सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की जाएगी।

लोकल गर्वमेन्ट डायरेक्ट्री (एल.जी.डी.)

लोकल गर्वमेन्ट डायरेक्ट्री साफ्टवेयर का उद्देश्य प्रत्येक पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को एक यूनिक कोड प्रदान कर सभी सम्बन्धित आर.एल.बी. (ग्रामीण स्थानीय निकायों) को उनके राज्य, जनपद, विकाखण्ड, तहसील एवं राजस्व ग्राम से मैप करना है। लोकल गर्वमेन्ट डायरेक्ट्री के माध्यम से सभी राजस्व ग्रामों को ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत को तथा क्षेत्र पंचायत को जिला पंचायत से मैप किया जाता है। एल.जी.डी. की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट (http://lgdirectory.gov.in) पर उपलब्ध है।

नेशनल पोर्टल

पंचायतें राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (नेशनल पंचायत रिपोर्ट) का उपयोग करके अपनी स्वयं की वेबसाइट बना सकती है। ऐसी वेबसाइट का उपयोग पंचायत द्वारा नागरिकों को पंचायत के कार्यकलापों के बारे में मुख्य जानकारी का प्रचार करने में किया जा सकता है। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल http://panchayatportals.gov.in पर उपलब्ध है। सभी जिला पंचायत की uppanchayat portal विकसित कर दिया गया है और उसका डोमेन पंजीकृत कर के सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों द्वारा भी इस पोर्टल का उपयोग कर अपने पंचायत की वेबसाइट विकसित की जाय तथा पंचायत से सम्बन्धित कार्यों को पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

सोशल ऑडिट एवं मीटिंग मैनेजमेण्ट

सामजिक लेखा परीक्षा तथा बैठक का प्रबन्धन (सोशल ऑडिट एवं मीटिंग मैनेजमेन्ट) जो http://socialaudit.gov.in पर उपलब्ध है, का उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अलग–अलग योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की सामजिक लेखा परीक्षा को सुगम बनाना है। एक पंचायत इस एप्लीकेशन के जरिये सामजिक लेखा परीक्षा अथवा सामजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है। इसके अतिरिक्त एजेण्डा बनाने, बैठक की सूचना जारी करने और विभिन्न सांविधिक बैठकों की राज्य पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार कार्यवृत्त तथा की गई कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण और बैठक प्रबन्धन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

ऑडिट ऑनलाइन–

ऑडिट ऑनलाइन https://auditonline.gov.in/ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित एक सामान्य एवं सरल नवप्रयोगों में से एक है। ऑडिट ऑनलाइन पंचायतों के सभी तीन स्तरों अर्थात जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और लाइन विभाग में लेखा परीक्षकों (राज्य ऑडिटर जनरल एवं स्थानीय लेखा) को खातों की वित्तीय लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करता है। ऑडिट ऑनलाइन आंतरिक और बाहरी दोनों ऑडिट के लिए विवरण रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर न केवल खातों के ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिट की सुविधा देता है, बल्कि ऑडिट में शामिल ऑडिटर और ऑडिट टीम की संबद्ध सूची के साथ ऑडिटी के पिछले ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य को भी पूरा करता है और एक अच्छे वित्तीय ऑडिट टूल के रूप में कार्य करता है और पारदर्शिता एव जवाबदेही में सुधार करता है।

एम–एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन–

एम–एक्शन सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के अनरूप किए जा रहे कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण एवं रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। यह एप्लीकेशन भौतिक प्रगति की उचित रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य की जीओ टैगिंग (अक्षांश और देशांतर) किये जाने हेतु एक उपयोगी टूल्स है।

यह एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन के बाद पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति की फील्ड–स्तरीय रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है।

7
सतत् विकास लक्ष्य एवं उनका स्थानीयकरण (L.S.D.G.)

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सतत् विकास लक्ष्य

परिचय

193 देशों ने 17 लक्ष्यों के माध्यम से एक चिरस्थायी विश्व की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं।

सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने वाले इन 17 लक्ष्यों के आधार पर, वैश्विक कार्य योजना तैयार की गई है और यह नए विकास की कार्य–योजना पर केंद्रित है – ''किसी को पीछे न छोड़ें''

मानव जाति के रूप में, हम अपने और ग्रह के लिए एक स्थायी भविष्य चाहते हैं। एसडीजी एकीकृत हैं और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

एसडीजी 1 जनवरी 2016 को लागू हुए और 2030 तक चलेंगे। इस घोषणा पत्र मे दूरदर्शिता और सिद्धांत, 17 लक्ष्य **(goals)** और 169 टारगेट शामिल हैं।

मुख्य लक्ष्य 5 **Ps** पर केंद्रित हैं

- लोग **(People):** सभी लोगों की भलाई
- ग्रह **(Planet):** पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा
- समृद्धि **(Prosperity):** सतत आर्थिक और तकनीकी विकास
- शांति **(Peace):** शांति हासिल करना
- साझेदारी **(Partnership):** अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार

एसडीजी एकीकृत हैं और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

''स्थानीय आर्थिक विकास, व सामाजिक न्याय'' के उद्देश्य से देश व प्रदेश निरन्तर प्रयासरत है। स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सभी लक्ष्य सतत् विकास लक्ष्यों (**Sustainable Development Goals-SDGs**) को ग्राम पंचायतें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त कर सकती है।

सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्हीं लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एवं लाभकारी हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत् हैं:

गोल संख्या–01
सभी जगह गरीबी एवं उसके रूपों का अंत करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकताओं का आंकलन करना।

- सामाजिक सेवाओं के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना एवं समूह सदस्यों को जी0पी0डी0पी0 प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कराना।
- आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ती, एवं रोजगार सेवक की ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

गोल संख्या–02

भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढावा देना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- वी0एच0एन0डी0 दिवसों का आयोजन एवं दिवसों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन (कम एवं बिना लागत के कार्य–बैठक, व्यक्तिगत सम्पर्क, रैली, दीवार लेखन, आदि)
- विद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं को पोषण की जानकारी देना एवं प्रतियोगिताऐं कराना।
- गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों को आई0सी0डी0एस0 के अर्न्तगत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम से जोड़ना।
- छात्र–छात्राओं के लिए गुणवत्तापरक मिड डे मील की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्तर पर समुदाय को घरों में किचन गार्डन बनाने एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य जिनमें हरी सब्जियों के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- कृषि की नई पद्धतियों का अपनाने हेतु कृषकों, छोटे खाद्य उत्पादकों और समुदाय को जागरूक करना।

गोल संख्या–03

स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं सभी के लिए आजीवन तंदरूस्ती को बढावा देना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की वार्षिक कार्ययोजना को जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित करना एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्वास्थ्य के मुददे, एवं आवश्यकताओं को जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित करना।
- टीकाकरण, स्तनपान की आवश्यकता तळाा परिवार नियोजन के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- शराब के हानिकारक प्रभाव, नशा और मादक पदार्थो के दुरूपयोग के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता के प्रति जागरूकता जिससे मलेरिया, जल जनित रोग, एवं अन्य संक्रामक रोगों से लडा जा सके।
- स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कमजोर वर्गों को सम्मिलित करना।
- परिवारों को रसोईघर में धुआ रहित चूल्हा, बेहतर कुकिंग स्टोव, पर्याप्त रोशनी, एवं हवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करना।
- असंक्रामक रोगों एवं वैक्टर जनित बीमारियों से बचाव के प्रति समुदाय को जागरूक करना।

- नवजातों और गर्भवती महिलाओं की परिवार द्वारा देखभाल के प्रति समुदाय को जागरूक करना।

गोल संख्या–04

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढावा देना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत बच्चों के अधिकारों के सम्बन्ध में जन जागरूकता करना।
- विद्यालय में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण जिससें वे स्कूल न छोडें। स्कूल में शत प्रतिशत नाम लिखवाने एवं उन्हे स्कूल में रोकने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- ग्राम पंचायत सचिवालय में पुस्तकालय की स्थापना करना।
- शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल प्रबन्धन समिति (सी0एम0सी0) एवं ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को सक्रिय करना।
- छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनिफार्म एवं पाठ्य–पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना।
- विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति सम्बन्धी ग्राम पंचायत स्तर से प्रयास करना।
- जी0पी0डी0पी0 निर्माण प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभा की बैठक में शिक्षक, आँगनवाडी, आशा, साक्षरता कार्यकर्ता, आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजर व अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

गोल संख्या–05

लैंगिक समानता हांसिल करना एवं महिलाओ और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन।
- लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध जन जागरूकता अभियान चलाना।
- स्कूल में बालिकाओं के नाम लिखाने एवं उन्हे आगे तक पढाने के लिए समुदाय को जागरूक करना।
- परिवार में बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना एवं बेटी के नाम पर पौधारोपण करना।
- बाल विवाह के प्रति समुदाय को जागरूक करना व रोकना।
- यौन चयनित गर्भपातों के विरूद्ध अभियान चलाना।
- स्कूली बच्चों के लिए साइबर अपराधों एवं मादक पदार्थों की लत के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढानें हेतु समुदाय को प्रेरित करना
- ग्राम पंचायत में लिंग अनुपात की स्थिति को जानने हेतु सर्वे करना और वर्तमान स्थिति से ग्राम सभा को अवगत कराना।
- ग्राम पंचायत की समितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढावा देना।
- ग्राम पंचायत सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायत में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज एवं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलु हिंसा जैसी भेदभावपूर्ण और गैरकानुनी आचरण न हों।
- बालिकाओं को उच्च शिक्षा/तकनीकी कौशल हासिल करने के लिए परिवारों को प्रेरित करे।

- विषय संबंधी गतिविधियों को जी0पी0डी0पी0 में शामिल करने हेतु ग्राम सभा की बैठक में आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजर, आँगनवाडी, स्कूल शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, स्थानीय पुलिस, एवं वकील आदि की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

गोल संख्या–06

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबंध सुनिश्चित करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- बिना शौचालय वाले परिवारों को चिन्हित करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्ययोजना को जी0पी0डी0पी0 में शामिल करना।
- पानी के सही उपयोग के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- जी0पी0डी0पी0 में जल एवं स्वच्छता मुद्दों संबन्धी गतिविधियों को शामिल करना।
- उपयुक्त फसल/खेती की पद्धतियों के चयन द्वारा पानी के सही उपयोग के प्रति समुदाय को प्रेरित करना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं वृहद वृक्षारोपण के प्रति समुदाय को प्रेरित करना।
- शौचालयों का निर्माण, उपयोग एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करना।
- जल निकायों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाये रखने के प्रति कार्य करना।
- उपयुक्त सिंचाई की पद्धतियों के उपयोग के प्रति समुदाय को प्रेरित करना।
- सभी घर परिवारों एवं संस्थाओं को शौचालय के प्रयोग के लिए प्रेरित करना।

गोल संख्या–07

सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत् एवं आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- सार्वजनिक भवनों में बिजली कनैक्शन उपलब्ध कराना।
- घर, परिवारों स्कूल और आँगनवाडियों में जैव ईंधन प्रणालियों का निर्माण एवं उपयोग हेतु समुदाय को प्रेरित करना।
- ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे एलईडी बल्ब, सितारा अंकित उपकरण आदि को अपनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करना।
- ऊर्जा बचाने वाले चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना।

गोल संख्या–13

जलवायु परिवर्तन के उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के स्तर को लेकर जागरूकता का निर्माण करना।
- जलवायु परिवर्तन के जोखिम का आंकलन करना।
- जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में रणनीति तैयार करना एवं गतिविधियों को जी0पी0डी0पी0 में शामिल करना।

गोल संख्या–15

स्थलीय पारिस्थितिकीय– तंत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना और इनके सतत् उपयोग को बढावा देना, वनों का सतत् तरीके से प्रबन्ध करना। मरूस्थलरोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना तथा परिवर्तित करना और जैव विविधता की हानि को रोकना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- ग्राम पंचायत में गठित जैव विविधता प्रबन्धन, नियोजन एवं विकास समिति को सक्रिय करना।
- पवित्र वृक्ष समूह के सामुदायिक प्रबन्धन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

गोल संख्या–16:–

सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना, तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ–

- समुदाय को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए प्रेरित करना।
- गाँव स्तर पर बैठकों के दौरान किसी भी प्रकार की घरेलु हिंसा और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के बारे में चर्चा करना एवं जागरूकता फैलाना।
- बैठकों के दौरान अदालत या पुलिस शिकायतों का सहारा लेने के स्थान पर लोगों को पंचायतों के भीतर विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- पंचायत स्तर पर सद्भावना दिवसों का आयोजन करना एवं सभी वर्गो को इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्वयं सहायता समूह की बैठकों के दौरान महिलाओं पर किसी भी प्रकार हिंसा पर चर्चा एवं रिपोर्ट करना।

स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिगत पंचायती राज मंत्रालय ने 9 विषयों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है:–

विषय (Theme) 01 : गरीबी मुक्त गाँव

विषय (Theme) 02 : स्वस्थ गाँव

विषय (Theme) 03 : बाल हितैषी गाँव

विषय (Theme) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव

विषय (Theme) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव

विषय (Theme) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव

विषय (Theme) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव

विषय (Theme) 08 : सुशासन वाला गाँव

विषय (Theme) 09 : महिला हितैषी गाँव

थीम संख्या	विषय	विज़न	स्थानीय लक्ष्य और टारगेट
1	गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गॉव	एक गरीबी मुक्त पंचायत, जो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि कोई भी गरीबी में वापस न जाये। ऐसा गाँव जहॉ सभी के लिये आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो।	• पीडीएस, आईसीडीएस आदि सहित आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक चयन • व्यक्तिगत/सामुहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन • यह सुनिश्चित करना कि लोगों (गरीब और कमज़ोर) को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन मिल रहा है। • कृषि में लगे किसानों की आय में वृद्धि • बुनियादी सेवाओं (आवास, पानी और स्वच्छता) तक पहुॅच सुनिश्चित करना • मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी आधारित रोज़गार उपलब्ध कराकर गरीबी कम करना
2	स्वस्थ गाँव	सभी उम्र में सभी के लिये स्वस्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना।	• उम्र के सापेक्ष कद कम होने को दूर करना। • किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को दूर करना। • कम लागत, अत्यधिक पौष्टिक और स्थानीय रूप से प्राप्त अनाज, सब्जियॉ, फल, अंडे आदि के सेवन को बढ़ावा देना। • संचारी रोगों हेतु निवारक और उपचारात्मक उपाय। • मातृ मृत्यु, 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना। • सभी के लिये चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राविधान कराना।
3	बाल हितैषी पंचायत	यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने।	• स्वस्थ बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित सुनिश्चित करना • स्कूल में शत्–प्रतिशत नामांकन • बाल विवाह संबंधी मामलों में कमी • तस्करी के शून्य मामले • 100% बाल श्रम मुक्त • बच्चों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना • दिव्यांग बच्चों के लिये शिक्षा तक समान पहुॅच सुनिश्चित करना। • **PTAs/SMCs** के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
4	पर्याप्त जल युक्त गाँव	सभी के लिए क्रियाशील पाइप पेयजल कनेक्श्न वाला गाँव, लक्षित मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति, अच्छे जल प्रबंधन और कृषि	• सभी को पर्याप्त साफ और पीने योग्य पानी की सुविधा। • सभी की गाँव में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुॅच। • व्यक्तिगत शौचालय का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना। • घरों से निकले गन्दे पानी के उपचार और शुद्धिकरण पर तंत्र विकसित करना। • 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्ति को सुनिश्चित करना। • भूजल की कमी, आर्सेनिक संदूशण, वर्षा जल संचयन और

		संबंधी सभी ज़रूरतों के लिए प्रचूर मात्रा में पानी की उपलब्धता और जल के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण	भूजल पुनर्भरण को संबोधित करना। ● सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखना।
5	स्वच्छ और हरा भरा गाँव	हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा गाँव बनाना, जो प्रकृति की उदारता से हरा–भरा हो, अक्षय ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छ, पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए लचीला हो	● गैर–अक्षय ऊर्जा का 100: उपयोग ● 100**%** खुले में शौच मुक्त ● पौधरोपण एवं नर्सरी बैड द्वारा हरियाली सुनिश्चित करना ● ईधन की लकड़ी का प्रयोग कम करें ● प्रकाश, घरेलू उपकरणों, खाना पकाने, सिंचाई के लिए सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना ● जैव–विविधता और परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना।
6	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे को प्राप्त करना और सभी के लिये पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।	● सड़क प्रकाश ● पाइप पेयजल व्यवस्था ● व्यक्तिगत शौचालय ● ग्रामीण आवास ● बस स्टैंड ● पुलिया / पुल निर्माण ● आंगनबाड़ी केन्द्र ● ग्राम पंचायत सचिवालय ● खेल के मैदानों की स्थापना। ● पेयजल–शौचालय–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सीएससी हेतु गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना। ● सभी मौसमों में सड़कें / सम्पर्क मार्ग की उपलब्धता, सोलर स्ट्रीट लाइट, समुदाय स्तर पर सौर उर्जा का उपयोग, सभी के लिये पक्के घरों की उपलब्धता। ● उचित ढ़की हुई नालियों द्वारा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7	सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव	गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए और सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ मिलना चाहिए।	● गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार। ● सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुनिश्चित करना। ● एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) अन्तर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नामांकन। ● लाभकारी रोज़गार प्रदान करना। ● उपर्युक्त बुनियादी ढांचा। ● असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव में कमी।
8	सुशासन वाला गाँव	ग्राम पंचायत में सुशासन के द्वारा ग्राम के निवासियों हेतु विभिन्न योजनाओं के	सुशासन के स्तम्भ ● टीम वर्क ● प्रौद्योगिकी

		अन्तर्गत विकास के लाभों को उत्तरदायी सेवा एवं वितरण के माध्यम से सुनिश्चित करना।	• समयबद्ध • पारदर्शिता • परिवर्तन / रूपांतरण
9	महिला हितैषी गाँव – गाँव में समान लैंगिक विकास	लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।	• महिलाओं एवं बलिकाओं के विरूद्ध अपराध को कम करना। • सरकारी एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित् करना। • सामाजिक–राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों एवं समुदाय आधारित संगठन में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना। • महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। • पांच वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना। • महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की सुविधा। • मातृ मृत्यु दर में कमी। • विद्यालयों में लड़कियों के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए वातावरण बनाना।

उपरोक्त 09 विषयों पर कार्य करते हुए कोई भी पंचायत मॉडल की श्रेणी में आ सकेगी। पंचायत सभी 09 विषयों पर एकसाथ कार्य करे यह आवश्यक नहीं है, प्रथम चरण में पंचायत न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर कार्य प्रारम्भ कर सकती है। प्रश्न यह है कि विषयवार ऐसी कौन सी गतिविधियॉ है जिन्हें पंचायत में किया जायेगा यह पंचायतों को बताया जाना आवश्यक है। प्रथमतयः पंचायत ऐसी गतिविधियों को चयनित करेगी जो जानकारी, जागरूकता, संवेदीकरण से जुड़ी हों क्योकि जबतक समुदाय विषयों के बारे में जागरूक नहीं होगा तब तक पंचायत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगी। समुदाय की सकारात्मक सहभागिता ही एक मंत्र है लक्ष्यों को प्राप्त करने का। पंचायत इसके लिये कम लागत एवं बिना लागत वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए चयन करेंगी और अपनी वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करेंगी क्योंकि पंचायत जो भी गतिविधि करती है उसका कार्ययोजना में सम्मिलित होना आवश्यक है जिसकी मदद से हम यह जान पायेंगे कि प्रदेश ने किस स्तर तक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

क्रम सं0	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
1.	गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गॉव (Poverty free and enhanced livelihoods in village)	• कृषि के प्रकार एवं लाभ, फसलों के प्रकार, कृषि में उपयोग होने वाली तकनीक, मौसमी फसलों एवं फलों की खेती, कृषि से संबंधित समस्यायें आदि पर समुदाय को जानकारी देना तथा जागरूक करना। • जनपदों एवं राज्यों में कृषि संबंधी उत्कृष्ट कार्यों से किसानों से सीखने एवं सीखाने हेतु एक्सपोज़र विजिट का आयोजन। • ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का दस्तावेजीकरण –विडियों निर्माण। • सिलाई, कढाई, बुनाई, अचार बनाना,	• ग्रामसभा की बैठक ही कृषि सम्बंधी योजनाओं की जानकारी देते हुए उपयुक्त लाभार्थी चयन की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना। • रबी एवं खरीफ के मौसम में ग्राम सभा की बैठक में कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित कर समुदाय को कृषि संबंधी जानकारी देना तथा नयी तकनीकों को अपनाये जाने हेतु प्रेरित करना। • स्वरोजगार एवं पुश्तैनी कार्यों को बढावा देना। • कौशल विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से कौशल में वृद्धि कराना। • मनरेगा के कार्ड धारकों की संख्या के

क्रम सं0	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		पापड बनाना, चप्पल बनाना आदि प्रशिक्षणों का पंचायत में नियमित आयोजन कराना। • उक्त गतिविधियों में आने वाले व्यय का वहन स्वयं ग्राम पंचायत अपने स्रोतों से किया जा सकता है।	अनुसार 100 दिवस का अनिवार्य रोजगार दिये जाने की व्यवस्था करना। • सामाजिक पेंशन आदि का सभी पात्रों को लाभ दिलवाने हेतु कैम्प का आयोजन करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त विषय पर चर्चा।
2	स्वस्थ गाँव (Healthy village)	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) में उपलब्ध बजट के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता सम्बन्धी कार्य कराना जैसे– • ग्राम प्रधान, आशा एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) के सम्मिलित प्रयास से उपलब्ध धनराशि रू0 10,000 की कार्य योजना बनाना। • माह में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, एवं पोषण दिवस के आयोजन को सुनिश्चित करना। • छः माह मे एक बार हैल्थ कैम्प का आयोजन किया जाना। कैम्प के आयोजन का व्यय स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) की मद में उपलब्ध धनराशि रू0 10,000, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय अथवा ग्राम पंचायत की स्वयं की प्रशासनिक मद से किया जायेगा। • बेबी शो। • खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। • संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु दवाईयों का छिडकाव। • ओपन जिम का निर्माण। • साफ एवं स्वस्थ परिवार जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन। • योगा कैम्प का आयोजन। • ग्राम स्तर स्वयं सहायता समूहों/लोकल दुकानदारों/आँगनवाडी केन्द्रों/आशा/उपकेन्द्रों पर लो कॉस्ट सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता (विक्रेता तैयार करना। • इन्सीनेटर एवं अन्य संसाधनों का निर्माण।	• समुदाय को ए0एन0एम0 तथा आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रथम तीन माह में पंजीकरण, 04 एन्टीनेटल चेक अप, 02 पोस्टनेटल चेक अप, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वी0एच0एन0 डी0 दिवसों में प्रतिभाग करने, किशोरियों द्वारा WIFS कार्यक्रम में 52 IFA गोलियों का सेवन, किशोरियों के वार्षिक हेल्थ चैकअप, कम वजन, गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिमाह आंगनवाडी सेन्टर पर वजन लक्षित लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष एवं 03 से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलायें) को आँगनबाड़ी से सभी SNP सेवायें प्राप्त होने आदि पर जानकारी देना तथा समुदाय की भागीदारी के प्रति जागरूक करना। इसके लिए आशा, आंगनवाडी एवं ए0एन0एम0, दो **माह में एक बार वार्डवार बैठक का आयोजन करना** एवं इसे व्यवहार में लाने हेतु प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना। • टीकाकरण से ड्राप आउट परिवारों की आई0पी0सी0 का आयोजन करना। • कुपोषित बच्चों के परिवार की आई0पी0सी0 करके एन0आर0सी0 सेन्टर भेजना। • स्वच्छता हेतु श्रमदान का आयोजन। • आयोडीन नमक का उपयोग करने, को जागरूकता रैली करना। **ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में इस विषय पर चर्चा करना।**

क्रम सं0	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
3.	बाल मित्र ग्राम (Child friendly village)	सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से तथा आगंनवाडी में वार्षिक कैलण्डेर के अनुसार ही ई0सी0ई गतिविधियों के सम्पादनका अनुश्रवण समुदाय के माध्यम से सुनिश्चित करना। **गतिविधि:—** • विद्यालय में वार्षिक दिवस का आयोजन जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगितायें के माध्यम से छात्र—छात्राओं एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। • बाल अधिकार से सम्बन्धित जानकारियाँ दीवारों पर लिखवाना। • समुदाय में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने परिवार नियोजन को अपनाने, कन्या के जन्म को धूम—धाम से मनाने, बालश्रम को रोकने, स्तनपान को बढावा देने, दहेज न लेने और न ही देने, आदि पर नियमित बैठक के माध्यमों से जागरूकता फैलाना। • उक्त आयोजन में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत के प्रशासनिक मद की धनराशि अथवा स्वयं के आय के स्रोत की धनराशि से किया जायेगा। • बाल तस्करी रोकने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बाल पंजीकरण रजिस्टर का निर्माण एवं अनुश्रवण।	समुदाय की 03 वर्ष से अधिक के सभी बच्चे आगंनवाडी केन्द्र में जाने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में पढने वाले सभी बच्चे (लडके/ लडकियाँ) का लगातार स्कूल जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। **गतिविधि:—** • शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु वार्डवार बैठक का आयोजन (दो माह में एक बार प्रत्येक वार्ड में) • बाल सभा का नियमित आयोजन करना एवं पंचायत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग करना एवं बच्चों के इश्यू को बैठक में रखना। • माता—पिता के साथ बाल अधिकार, एवं बाल श्रम पर, बाल अस्तित्व, बाल सरक्षण, बाल विकास एवं बाल सहभागिता की जानकारी प्रदान करने हेतु बैठक का आयोजन। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा करना। • ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों के व्हाटस एप ग्रुप के माध्यम से वार्ड की सुरक्षा हेतु व्हाटसएप हेल्पलाईन की शुरूआत एवं सक्रिय किया जाना।
4.	पर्याप्त जल वाला गॉव (Water sufficient village)	• पीने के पानी की गुणवत्ता की जाँच मानकों के अनुसार वर्ष में दो बार किया जाना। **जाँच हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय धनराशि का प्रावधान करना।** • जल संरक्षण के अच्छे उपाय करने वालों को प्रोत्साहन देना एवं महत्वपूर्ण दिवसों पर उनका सम्मान करना। स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा आंगनवाडी में स्वच्छ पेयजल के उपयोग पर छात्र एवं छात्राओं को महत्वपूर्ण दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि पर विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रेरित करना। **कार्यक्रम आयोजन में आने वाले**	• पेयजल के सदुपयोग के प्रति स्कूल के बच्चों की रैली। • कक्षा 6 से ऊपर के सभी विद्यालयों में पेयजल के सदुपयोग एवं जल संरक्षण पर जागरूकता का 1 घंटा का आयोजन। • स्वयं से प्रेरित व्यक्तियों की टीम बनाना एवं उनके जरियें ग्राम वासियों को जागरूक करना। • ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में इस विषय पर चर्चा करना। • पानी की टंकियों की नियमित निगरानी करना। • पानी को व्यर्थ बहने से बचानें के लिए जागरूकता बैठक करना।

क्रम सं0	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		व्यय का वहन ग्राम पंचायत की स्वयं की प्रशासनिक मद की धनराशि से करेगी।	• पंचायत में जल की निरंतर आपूर्ति बनाये रखने के लिए 3R (Reduce, Reuse, Recharge) के तरीकों पर बैठक के माध्यम से जागरूक करना।
5.	स्वच्छ एवं हरा भरा ग्राम (Clean and green village)	• समुदाय को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर जागरूक करना तथा जानकारी देना। पंचायत समिति एवं समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु रणनीति में निम्न गतिविधियों का सम्मिलित किया जा सकता है। • समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत में प्रत्येक हैण्डपम्प, एवं कुओं के पास सोख्ता गड्ढों का निर्माण एवं कुडेदान का निर्माण किया जाना। निर्माण कार्य में आने वाला व्यय का वहन समुदाय द्वारा श्रमदान, सहयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से किया जायेगा। • मेरा गाँव में ही संवारू जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। • पॉलिथीन तथा न गलने वाले कचरे का उपयोग न करने, पर जागरूकता रैली का आयोजन।	• विद्यालय में कक्षा के दौरान छात्र–छात्राओं को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने से होने वाले लाभ के विषय में जानकारी देना। जिन छात्र–छात्राओं के घरों में शौचालय नही है उन्हें अपने अभिभावकों को शौचालय बनाने हेतु कहने के लिए प्रोत्साहित करना। • ग्राम पंचायत में वार्डवार बैठकों का आयोजन कर समुदाय को शौचालय उपयोग करने तथा हाथ साबुन से धोने के महत्व पर चर्चा करना। • श्रमदान के माध्यम से पौधारोपण कराना। • जैविक खेती एवं किचन गार्डन को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण आयोजन करना। • अक्षय ऊर्जा के स्रोतो को बढ़ावा देने जागरूकता बैठक। • खुले में शौच के दुष्परिणाम हेतु जागरूकता बैठकों का आयोजन करना।
6.	आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ाचे वाला गॉव (Self-sufficient infrastructure in village)	• परिसम्मपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाना। • पुराने भवनों की मरमम्त करवाकर किराये पर देना। • ग्रामीणों के द्वारा निजी कार्यो हेतु नाली एवं खडंजा को तोडने से पूर्व ग्राम पंचायत की अनुमति लेना।	• बारात घर जैसी सम्मपत्तियों का किराया निर्धारण कराना। • बाजार एवं तालाबों की निलामी करवाना एवं पंचायतों की स्वयं की आय बढ़वाना। • स्कूल, आँगनवाडी, उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि भवनों का सदुपयोग, निगरानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। • हैण्डपम्प, पानी की टोटी की सुरक्षा हेतु आसपास के परिवारों को जिम्मेदारी देना। • परिसम्मपत्तियों के संरक्षण हेतु जागरूकता बैठक करना। • सम्मपत्तियों की सुरक्षा हेतु फ्रन्टलाईन वर्करों की बैठक करना।
7.	सामाजिक रूप से सुरक्षित गॉव (Socially secured village)	• समुदाय के बच्चों का जन्म पंजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराया जाना। • सरकारी योजनाओं की जानकारी	• समुदाय को बच्चों का जन्म पजीकरण जन्म के 21 दिवसों के भीतर किये जाने, विवाह एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराये जाने के प्रति जागरूक करना। • आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति

क्रम सं0	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		दीवारों पर लिखवाना।	बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पैंशन योजना, आदि बनवाने के लिए कैम्प लगवाना। ● विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पैंशन, दिव्यांग पैंशन, आदि बनवाने के लिए कैम्प लगवाना। ● मध्याहन भोजन, आई0सी0डी0एस0, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि का लाभ नियमित रूप पात्रों को दिलवाने हेतु विद्यालय शिक्षक, आँगनवाडी, एवं राशन डीलर के साथ बैठक का आयोजन। ● समुदाय स्तर पर वार्ड सभा के आयोजन के माध्यम से। ● ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा।
8.	सुशासन वाला ग्राम (Village with Good Governance)	● ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार करना तथा योजना को सामुदायिक स्थान पर प्रदर्शित करना। ● पचांयत का पारिवारिक सर्वे करवाना, ग्राम पचांयत द्वारा स्वयं की वेबसाइट है जिसपर योजनाओं, संसाधनों, फार्म तथा सर्टिफिकेट (जिसमें जमीन, सामुदायिक सम्पत्तिके संसाधन और बैंक एकाउंट सम्मिलित है) तथा योजनावार लाभार्थियों की सूची पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध कराना। ● सी.एस.आर. अथवा स्वयं से/डोनेशन के माध्यमों से ग्राम पचांयत का बजट बढाना आदि। ● ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना को सामुदायिक स्थानों पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित करना। ● ग्राम पंचायत में विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय से विकास कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार करना। ● सचिवालय से दी जाने वाली सुविधाओं की वॉल पेन्टिग कराना। ● सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, क्लास, धर्म, लिंग, दिव्यागंता, बिमारी तथा वृद्धवस्था के आधार पर	● सभी 06 ग्राम पचांयत समितियों की प्रतिमाह बैठकें/वर्ष में न्यूनतम दो बार ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन मानकों के अनुसार तथा समय से कार्यवृत्त तैयार किया जाना। ● 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वार्ड सदस्यों की भागीदारी। ● स्वयं सहायता समूह तथा महिला एवं बाल मंच के सक्रिय समूह गठित करना, महिला प्रधान परिवारों, अलग एवं एकल महिला को सहायता प्रदान करना दिव्यागों को आजीविका से जोड़ना। ● ग्राम पचांयत की परिधि में किसी भी प्रकार की मदिरा, तंबाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के ड्रग्स का बेचे जाने पर प्रतिबधं लगाना, कूड़े तथा प्लास्टिक को जलाने पर प्रतिबंध लगाना। ● सिटीजन चार्टर को लागू करना। ● ग्राम सदस्यों को जन्म प्रमाण–पत्र, मृत्यू प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि को ससमय दिया जाना सुनिश्चित करना। ● बैठक के द्वारा उपरोक्त सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना। ● समुदाय स्तर पर रैली, वार्ड सभा का आयोजन, संवाद कर जानकारी देना तथा जागरूक करना। ● ग्राम पंचायत में पारदर्शिता रखने प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देना।

क्रम सं0	थीम	मानक	
		कम लागत (Low Cost)	बिना लागत (No Cost)
		भदेभाव न करना। • वॉल पेन्टिंग में आने वाले व्यय का वहन ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा।	• ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उक्त सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा करना।
9	समान लैंगिक विकास वाला ग्राम (Engendered Development village)	पुलिस द्वारा प्रसारित टोल फ्री नम्बर 1090 व यूपी पुलिस 112 का प्रसार हेतु मिशन शक्ति के लोगो के साथ इनका चित्रण ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन/पंचायत कार्यालय में किया जायें। नम्बर के बारें अधिक से अधिक लोगों को बताया जाये व पीड़ित महिला/बालिका की सहायता की जायें। इसके साथ ही सामुदायिक स्थलों पर महिला अधिकार से सम्बन्धित नारों का लेखन कराया जाना। **गतिविधि–** • सुरक्षा हेतु प्रसारित नम्बर 1090, एवं 112 का दीवार पर लेखन एवं नारा लेखन। • स्थानीय कला–प्रदर्शकों के द्वारा महिला सुरक्षा का प्रसार। • महिलाओं/किशोरियों हेतु कौशल विकास के सत्र चलाया जाना। • शराब, तंबाकू तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे को न खरीदने और न ही बेचने, घरेलू हिंसा रोकने के कार्य करना।	ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व महिलाओं/ किशोरियों की आवश्यकताओं का समाहित करने के उद्देश्य से "महिला सभा का आयोजन" जिसमें सभी वार्ड से महिलाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायें। महिलाओं की आवश्यकताओं – पेयजल, सुरक्षा,उत्पीडन, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर वार्ड मैम्बर, ए0एन0एम0, व आँगनवाडी एवं शिक्षिका की उपस्थिति में चर्चा कर सम्बन्धित गतिविधियों को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये। **गतिविधि–** महिला/किशोरी सभा का आयोजन ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के व्हाटसएप ग्रुप के माध्यम से वार्ड की सुरक्षा हेतु व्हाटसएप हेल्पलाईन की शुरूआत एवं इसे सक्रिय किया जाना। **गतिविधि–** सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायतों में समाधान पेटिकाओं की स्थाई स्थापना। वर्ष में एक बार समस्त ग्राम पंचायतों में गाँव की बेटियों को "ग्राम प्रधान" बनाकर उन्हे पंचायतों की कार्यशैली समझानें का प्रयास किया जाना। **गतिविधि–** "एक दिवस महिला कार्यकाल" मनाया जाना।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका

अपनी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण हेतु 09 थीमों पर आधारित कार्यो एवं उनसे संबंधित गतिविधियों को सुनिश्चित कर सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अपना योगदान सुनिश्चित करना।

8
पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0

पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0

जनता के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0 की स्थापना की गई है।
यह योजना दिनांक–16.12.2021 से प्रभावी है।

आश्रित को दी जाने वाली धनराशि

- ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष – रु0 10 लाख
- सदस्य जिला पंचायत – रु0 5 लाख
- सदस्य क्षेत्र पंचायत – रु0 3 लाख
- सदस्य ग्राम पंचायत – रु0 2 लाख

आवेदन की प्रक्रिया

- पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने **prdfinance.up.gov.in** पर सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
- आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रिज किया जायेगा।
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मृतक पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति के किये गये आवेदन को निर्धारित पोर्टल से अपने लाग इन आई0डी0 व पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर समस्त सूचनाओं व अभिलेखों का परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अनुमोदनोपरान्त आवेदन पर अपनी संस्तुति कर धनराशि हस्तांतरण हेतु पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाता है।
- राज्य स्तर पर जनपद द्वारा अग्रसारित आवेदन व अभिलेखों को डाउनलोड कर आवेदक के बैंक विवरण को पी.एफ.एम.एस. पर वेलिडेट करने के उपरान्त निर्धारित धनराशि आश्रित व्यक्ति के खाते में हस्तांतरित कर किया जाता है।

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख

आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख'–

- पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण – पत्र।
- प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।
- ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण–पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

९

मातृभूमि योजना

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना

पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–57/2021/2171/33–3–2021, दिनांक–12.11.2021 के क्रम में उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन व संचालन हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना का उद्देश्यः–

- ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों को ग्राम में निवासरत व बाहर रहने वाले व्यक्तियों/निजी संस्थाओं के सहयोग से परिसम्पत्ति के निर्माण व अनुरक्षण में सहभागिता किया जाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों के तीव्र गति के साथ–साथ उसमें गुणात्मक सुधार एवं नवीन तकनीकों व विचारों का समावेश।
- निजी निवेश तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन की उपलब्धता से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का वित्तीय समावेश एवं मरम्मत व रखरखाव –

पंचायत में कराये जाने वाले कार्य हेतु निर्धारित लागत में से सहयोगकर्ता/सहयोगकर्ता द्वारा अपने गाँव में 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का सहयोग देकर कार्य सम्पन्न करवा सकेंगे सहयोगकर्ता द्वारा दी गई राशि के उपरान्त शेष 40 प्रतिशत राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेंगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के बजट प्राविधानों से की जायेगी (सांकेतांक सूची संलग्न 1)। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा। सहयोगकर्ता द्वारा कार्य स्वयं अथवा स्वयं की पसन्द की एजेंसी के माध्यम से कराया जा सकता है। योजना के तहत किये गये कार्यो के मरम्मत रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग व संस्था जिसे परिसम्पत्ति स्थानान्तरित की जायेगी उसकी रहेगी।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी का गठनः–

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन हेतु उ0प्र0 मातृ भूमि सोसायटी का गठन किया जायेगा, जिसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्टर एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कराया जायेगा। सोसायटी का राज्य स्तर पर Escrow बैंक अकाउण्ट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसायटी के अन्तर्गत अलग से बैंक अकाउण्ट खुलवाया जाएगा। सोसायटी को आवश्यकतानुसार Cropus Fund उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे Reimburse किया जाएगा। इस Cropus Fund के ब्याज से PMU के संचालन का व्यय भार वाहन किया जा सकेगा।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु पी0एम0यू0 का गठनः—

योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस हेतु ''उ0प्र0 मातृभूमि सोसायटी'' द्वारा प्रोजेक्ट मैंनेजमेन्ट यूनिट PMU का गठन किया गया है।

पी0एम0यू0 के कार्य एवं दायित्वः—

योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय बैंक एकाउण्ट PMU द्वारा संचालित किया जाएगा। PMU द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सहयोगकर्ताओं के सहयोग की राशि एवं सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाये गये अलग बैंक अकाउण्ट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद, उसमें सम्बन्धित कार्य के लिए व्यय किया जा सकेगा। पोर्टल के ऊपर कार्यों का विवरण और कार्य का प्रकार, आदि दर्शाना होगा, ताकि सहयोगकर्ता को सहयोग देने के लिए सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके। सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, पंचायत और मुख्य विकास अधिकारी के लिए आवश्यकतानुसार लॉग इन आई0डी0 और पासवर्ड का प्राविधान किया गया है।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका

अपने क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के व्यक्तियों या निजी संस्थाओं को ग्राम पंचायत में बुनियादी एवं आवश्यक निर्माण कार्यो/नागरिक सेवाओ/परिसम्पत्तियों को सृजित करने या और बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने में अपना योगदान कर सकते है।

10

पंचायत पुरस्कार

पंचायत पुरस्कार

पुरस्कारों के प्रकार

1. **राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार**

   पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

2. **प्रदेश स्तरीय पुरस्कार**

   मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार– पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य वाले पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने वाले पुरस्कारो को सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल0एस0डी0जी0) की निम्न 09 थीमों/विषयों के आधार पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

विषय (**Theme**) 01 : गरीबी मुक्त गाँव

विषय (**Theme**) 02 : स्वस्थ गाँव

विषय (**Theme**) 03 : बाल हितैषी गाँव

विषय (**Theme**) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव

विषय (**Theme**) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव

विषय (**Theme**) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव

विषय (**Theme**) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव

विषय (**Theme**) 08 : सुशासन वाला गाँव

विषय (**Theme**) 09 : महिला हितैषी गाँव

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

पुरस्कार की श्रेणियाँ :–

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्न श्रेणियों में त्रिस्तरीय पंचायताओं को प्रदान किया जायेगा–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पुरस्कार की श्रेणी</th><th>पंचायत स्तर</th><th>क्र.सं.</th><th>स्थानीय सतत विकास थीम (LSDG Themes)</th></tr>
<tr><td rowspan="9">1.</td><td rowspan="9">दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP)</td><td rowspan="9">ग्राम पंचायत
क्षेत्र पंचायत
जिला पंचायत</td><td>1.</td><td>गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाली पंचायत</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>स्वस्थ पंचायत</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बाल मैत्री पंचायत</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पर्याप्त जलयुक्त वाली पंचायत</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>स्वच्छ एवं हरित पंचायत</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे युक्त पंचायत</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>सुशासित पंचायत</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>महिला हितैषी पंचायत</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td rowspan="3">नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (NDSPSVP)
(केवल राष्ट्रीय स्तर पर)</td><td>ग्राम पंचायत</td><td colspan="2">राष्ट्रीय स्तर पर 9 थीम/विषयों के अन्तर्गत संयुक्त रूप से उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 3 ग्राम पंचायतें</td></tr>
<tr><td>क्षेत्र पंचायत</td><td colspan="2">राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 3 क्षेत्र पंचायतें
(क्षेत्र पंचायतों में सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतों के सभी 9 थीम/विषयों के औसतन अंकों के आधार पर)</td></tr>
<tr><td>जिला पंचायत</td><td colspan="2">राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 3 जिला पंचायतें
(जिला पंचायतों में सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतों के सभी 9 थीम/विषय के औसतन अंकों के आधार पर)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विशेष पुरस्कार
(केवल राष्ट्रीय स्तर पर)</td><td colspan="3">3(क) ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार– सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को यथासम्भव मंत्रालय/सम्बन्धित विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।
3(ख) कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार– राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 03 ग्राम पंचायतें जिन्होंने पंचायत में नेट जीरो कार्बन एमीशन प्राप्त करने में उत्कृष्ट कार्य किया हो।</td></tr>
</table>

		3(ग) **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार–** यह पुरस्कार ऐसी ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा जो कि एक से अधिक बार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। 3(घ) **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार–** राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 03 संस्था जिन्होंने एल.एस.डी.जी. के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभूतपूर्व कार्य किया हो। 3(ङ) **विशेष प्रतिभागिता पुरस्कार–** ऐसे प्रदेश जहाँ पर सबसे अधिक ग्राम पंचायतों ने उक्त पुरस्कार श्रेणियों में हिस्सा लिया हो।

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार का स्तर/संख्या

पुरस्कार का स्तर	पंचायतों की संख्या		
	ग्राम पंचायत	क्षेत्र पंचायत	जिला पंचायत
क) विकास खण्ड स्तर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	–	–
ख) जनपद स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	–
ग) राज्य स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 जिला पंचायत)
घ) राष्ट्रीय स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 जिला पंचायत)

पुरस्कार धनराशि एवं प्रमाण–पत्र

राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों की संख्या एवं धनराशि निम्नवत् वर्णित है–

पुरस्कार प्राप्तकर्ता	स्पर्धा का स्तर	पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या	प्रत्येक थीम हेतु अनुमानित पुरस्कार की धनराशि	टिप्पणी
ग्राम पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (प्रत्येक थीम हेतु)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 50 लाख • द्वितीय पुरस्कार–रू. 40 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 30 लाख कुल = रू. 1.20 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय/ नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिया जायेगा।
ग्राम पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1.5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 1.25 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 1 करोड़ कुल = रू. 3.75 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
क्षेत्र पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (for each theme)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 50 लाख • द्वितीय पुरस्कार–रू. 40 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 30 लाख कुल = रू. 1.20 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
क्षेत्र पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 75 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 50 लाख कुल = रू. 2.25 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
जिला पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (for each theme)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1.5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 1.25 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 1 करोड़ कुल = रू. 3.75 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
जिला पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 3 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 2 करोड़ कुल = रू. 10 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर कुल पुरस्कार की धनराशि			(i) 27 GPs (Thematic): Rs.1.20 crore * 9themes = Rs. 10.80 crore (ii) 3 Best GPs (All themes) = Rs.3.75 crore (iii) 27 BPs(Thematic): Rs.1.20 crore * 9themes = Rs. 10.80 crore (iv) 3 Best BPs (All themes) = Rs.2.25 crore (v) 27 DPs (Thematic): Rs.3.75 crore * 9themes = Rs. 33.75 crore (vi) 3 Best DPs (All themes)= Rs.10.00crore Total : 71.35 crore	

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के क्रियान्वयन हेतु गठित समितियाँ

राज्य स्तर : कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC)

जनपद स्तर : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (DPPAC)

विकास खण्ड स्तर : खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लाक पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (BPPAC)

आवेदन की प्रक्रिया–

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा स्वयं से संबंधित प्रश्नावलियों को भारत सरकार की वेबसाइट **www.panchayataward.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
- यह आवेदन योजना के जारी शासनादेश में दी गयी समय–सारिणी अनुसार निश्चित समय–सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा।

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार की विस्तृत जानकारी हेतु शासनादेश संख्या–1867/33–3–2022 दिनांक 07.09.2022 का अवलोकन करें।

प्रदेश स्तरीय पुरस्कार

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यो हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2017–18 में की गई है।
- प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् श्रेणी के लिए निर्धारित धनराशि (4 से 12 लाख) से पुरस्कृत किए जाने की कार्यवाही की जाती है।
- सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को विशिष्ट धनराशि दी जाती है ।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के प्रस्तावित मानक–

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 09 विषयों/थीम के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया है:–

विषय (**Theme**) 01 : गरीबी मुक्त गाँव
विषय (**Theme**) 02 : स्वस्थ गाँव
विषय (**Theme**) 03 : बाल हितैषी गाँव
विषय (**Theme**) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव
विषय (**Theme**) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव
विषय (**Theme**) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव
विषय (**Theme**) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव
विषय (**Theme**) 08 : सुशासन वाला गाँव
विषय (**Theme**) 09 : महिला हितैषी गाँव

उपरोक्त विषयों पर जनपदों में उत्कृष्ट कार्य कर उच्च अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायते पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

पुरस्कार श्रेणी एवं प्रस्तावित धनराशि

प्रथम पुरस्कार	–	रू. 12 लाख
द्वितीय पुरस्कार	–	रू. 10 लाख
तृतीय पुरस्कार	–	रू. 08 लाख
चतुर्थ पुरस्कार	–	रू. 07 लाख
पंचम पुरस्कार	–	रू. 04 लाख

आवंटित बजट के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार पुरस्कार की धनराशि में परिवर्तन सम्भव है।

आवेदन की प्रक्रिया

- ग्राम पंचायतें, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के वेबपोर्टल 'हमारी पंचायत **www.hamaripanchayat.up.gov.in** पर पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर अनुमोदन किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन राज्य स्तर को अग्रसरित किया जायेगा।
- शासन स्तर पर गठित एसेसमेंट कमेटी द्वारा ग्राम पंचायतों के गत वर्ष के कार्यो के आधार पर ग्राम पंचायतों के चयन एवं संख्या पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका

अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकाधिक ग्राम पंचायतेां को प्रोत्साहित करना कि वे बेहतर कार्य करें तथा पुरस्कार हेतु आवेदन कर पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास करें।